वार्षिक 150/- रुपये जनवरी 2023 वर्ष 25, अंक 3 पृष्ठ - 28 मूल्य 15/-रु.

गोसम्पदा

माता-गोमाता हैं

साक्षात ईश्वर-परमपिता परमात्मा

मध्यप्रदेश
पेसा नियम
जनजातीय समुदाय को जल, जंगल, जमीन, मजदूरों, महिलाओं व संस्कृति संरक्षण के मिले अधिकार
नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री
मध्यप्रदेश सरकार ने दिये
आर्थिक उन्नति के साथ सांस्कृतिक संरक्षण के अधिकार
अनुसूचित क्षेत्र के 89 विकासखंडों में हुए लागू
सामाजिक समरसता के साथ जनजातीय वर्ग को मिले उनके अधिकार
जमीन के अधिकार
• गांव की जमीन और वन क्षेत्र के नक्शे, खसरा बी-1 पटवारी और बीटगार्ड कराएंगे उपलब्ध, नहीं लगाने होंगे तहसील के चक्कर
• राजस्व अभिलेखों की त्रुटियों के सुधार की अनुशंसा का अधिकार
• भू-अर्जन, खनिज सर्वे, पट्टा और नीलामी हेतु ग्राम सभा की सहमति और अनुशंसा
• गलत तरीके से जमीन खरीदने/कब्जा करने पर ग्राम सभा का हस्तक्षेप, नहीं कर सकेगा कोई छल-कपट
• ग्राम सभा वापस दिलवा सकती है कब्जे वाली जमीन
जंगल के अधिकार
• लघु वनोपजों एवं तेंदूपत्ता के संग्रहण और विपणन का अधिकार, अब जनजातीय समुदाय तय करेगा अपनी लघु वनोपजों का मूल्य, मिलेगी उचित कीमत
• एक निश्चित दर से कम रेट पर नहीं बिकेगी वनोपज
पेसा जागरूकता सम्मेलन
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केसला विकासखण्ड
मध्यप्रदेश शासन

D16130/21

गोसम्पदा

वर्ष - 25 अंक-03 जनवरी - 2023 पृष्ठ - 28

संरक्षक :
हुकुमचंद सावला जी
उपाध्यक्ष, विहिप

खेमचन्द जी
राष्ट्रीय संगठन मंत्री, गोरक्षा आयाम
संकट मोचन आश्रम, सै. 6,
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-22
मो. : 09910265221
ईमेल : gosampada@gmail.com

सम्पादक :
देवेन्द्र नायक
संकट मोचन आश्रम, सै. 6,
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-22
मो. : 8130049868 कार्या. 011-26174732
ईमेल : gosampada@gmail.com

परामर्शदाता : प्रो. गुरुप्रसाद सिंह जी
मो. : 9838900596

प्रकाशक : राजेन्द्र प्रसाद सिंहल जी
मो. : 9810055638

प्रचार-प्रसार प्रमुख : जय प्रकाश गर्ग जी
मो. : 9654414174

व्यवस्थापक : रामानन्द यादव
मो. : 9958710672 कार्या. : 011-26174732

साज-सज्जा : सुमन कुमार झा

वैधानिक सूचना
'गोसम्पदा' से संबन्धित सभी वाद प्रकाशन तिथि से 3 माह के अंदर केवल नई दिल्ली स्थित न्यायालय में मान्य होंगे

सहयोग राशि
एक प्रति : रु. 30/-
वार्षिक : रु. 150/-
आजीवन : रु. 1500/-

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ
सम्पादकीय	04
गोबर अर्थात गो-वर	05
गोवंश संरक्षण के लिए आत्मसंकल्पित होना आवश्यक	10
भाग्यनगर में गोरक्षा विभाग, विहिप की राष्ट्रीय बैठक संपन्न	12
शिशिरऋतु और पंचगव्य	18
'आनिनम् वाड़गऽ' - गायों की नस्लें दीर्घायु हों!	20
Historical Judgement- Telangana High Court Directs State Government to Provide Adequate Funds to Goshalas	22

तेलंगाना उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला

तेलंगाना सरकार गौशालाओं में गौ संरक्षण हेतु घास-चारा आदि की व्यवस्था के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध कराये। एक ऐतिहासिक फैसले में माननीय तेलंगाना उच्च न्यायालय ने तेलंगाना गाय वध और पशु संरक्षण अधिनियम, 1977 की धारा 17 एवं भारतीय संविधान की धारा 48 एवं 51। (ह) को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय दिया कि तेलंगाना सरकार का यह कर्त्तव्य है कि गौशालाओं को पर्याप्त धन उनके रख-रखाव एवं चारे के लिये उपलब्ध कराये। माननीय कोर्ट ने आगे कहा कि गौशालाओं में गोधन का रख-रखाव राज्य का कार्यपालन कर्त्तव्य है। यह फैसला तेलंगाना हाईकोर्ट की एक खण्डपीठ ने 6 दिसम्बर को भारतीय प्राणी मित्र संघ, हैदराबाद, अध्यक्ष सीए जसराज श्रीश्रीमाल द्वारा प्रस्तुत एक याचिका PIL No-105/2020 में दिया। खण्डपीठ में उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायधीश श्री उजल भूयान एवं सी.वी. भास्कर रेड्डी थे। यह याचिका कोविड महामारी 2019 में दान राशि की भारी कमी से उत्पन्न चारा व्यवस्था में अति कठिनाइओं के मध्य प्रस्तुत की गयी थी।

सम्पादकीय

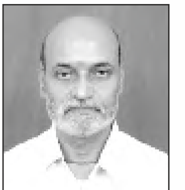

पूज्य हीराबेन जी को आत्मिक श्रद्धांजलि

माता-गोमाता हैं साक्षात ईश्वर-परमपिता परमात्मा

सनातन धर्म अर्थात् अनादिकाल से निरंतर चले आ रहे धर्मानुसार जन्म देने वाली माता और सर्वदेवमयी गोमाता को साक्षात ईश्वर–परमपिता परमात्मा माना गया है, जो अक्षरशः सत्य भी है। अभी हाल ही में गत 30 दिसंबर 22 को परमगोभक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताश्री पूजनीय हीराबेन जी का गोलोकवास हो गया। उन्होंने सौवें (100) वर्ष में प्रवेश किया था। उनका सहज–सरल–करुणामय और संघर्षपूर्ण जीवन सभी के लिए प्रेरणादायी है। बस, उनके लिए जो लेना चाहें। वे कुछ समय पूर्व से अस्वस्थ चल रही थीं। इसलिए उन्हें अहमदाबाद के यू. एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने 30 दिसंबर की सुबह लगभग 3.30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर नरेंद्र मोदी जी के भाई पंकज मोदी जी के घर, ग्राम रायसन में रखा गया। यह हृदय विदारक सूचना पाकर नरेंद्र मोदी जी त्वरित भाई पंकज जी के निवास पर पहुंच गये। उनका पार्थिव शरीर गांधीनगर के मुक्तिधाम शमशान घाट ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। नरेंद्र भाई ने उनकी अर्थी को कंधा दिया और बाद में मुखाग्नि भी दी। पंचतत्वों से बना उनका भौतिक शरीर पंचतत्व में ही विलीन हो गया। मोदी जी ने माताश्री को श्रद्धांजलि देते हुए कहा–**शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम... मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समर्पित रहा है।** मोदी जी की आंखों में अश्रु छलक आये थे, जो स्पष्टरूप से दिखाई दे रहे थे। अंतिम संस्कार संपन्न होने के बाद मोदी जी ने तत्काल दिल्ली आकर कार्यालय में कार्य संभाल लिया, जो प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है।

आध्यात्मिक दृष्टि से पू. हीराबा के जीवन की महान उपलब्धि सुपुत्र के रूप में विलक्षण प्रतिभा के धनी श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी जैसा **अमूल्यवान हीरा** देश को समर्पित करना है। मोदी जी जैसा सपूत पैदा कर वे धन्य हो गईं, उनका जीवन सार्थक हो गया। उनके निधन से मोदी जी को अपूरणीय क्षति हुई है, जिसकी भरपाई होना असंभव है। उनको इस क्षति की अनुभूति समय बीतने के साथ अवश्य ही होगी। वास्तव में सभी लोग इस सत्य से भलीभांति परिचित हैं कि जो भी संसाररूपी भवसागर में पैदा होता है या जन्म लेता है उसकी **मृत्यु अवश्यंभावी है,** जिसे टालना–बदलना नामुमकिन है। दूसरे शब्दों में कहें तो विधि के विधान को लौकिक दृष्टि से बदलना असंभव है। हाँ, अलौकिक दृष्टि से अनेक अपवाद असंदिग्धरूप से हैं, जो पौराणिक कथाओं के माध्यम से लगभग सभी देशवासी सुन चुके हैं, अभी भी निरंतर सुनते रहते हैं। लेकिन इस प्रकार के प्रकरण नगण्य हैं, जो ईश्वर की कृपा से ही घटित हो सके हैं। बावजूद इसके **मृत्यु अटल** है।

स्मरण रहे, माँ केवल दो अक्षरों से मिलकर बना ऐसा शब्द है, जो निस्वार्थ प्रेम–स्नेह, दया–करुणा का भंडार है, जिसमें नैसर्गिक आकर्षण–अद्भुत शक्ति है। मां अपने बच्चे को कष्ट–संकट में देखकर सब कुछ न्योछावर करने के लिए त्वरित तैयार हो जाती है, इसलिए उसे त्याग की मूर्ति भी कहा गया है। मां के द्वारा दिए गए संस्कारों के आधार पर ही सामान्य मनुष्य महान बन जाता है, सामान्य मानव महामानव बन जाता है। अतः मां को ही बच्चे का पहला गुरु माना गया है। मां से प्राप्त शिक्षा और संस्कारों के बल पर ही महान राजनीतिज्ञ आचार्य विष्णुगुप्त (चाणक्य),आदि शंकराचार्य, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, स्वामी विवेकानंद आदि महान कार्य करने में सफल हो सके हैं। इसी प्रकार पू. हीराबा ने घोर विषम परिस्थिति में भी अपने सभी बच्चों का पालन–पोषण कर उनको उच्च कोटि के संस्कार दिए। सुपरिणामस्वरूप नरेंद्र भाई जैसा महामानव इस राष्ट्र को मिला, **मातृ देवो भव** को चरितार्थ करते हुए जिसने भारत का नाम सारे संसार में गौरवान्वित किया है। मां का एक दूसरा रूप भी है–महारानी लक्ष्मीबाई, रानी अहिल्या होलकर, रानी दुर्गावती जैसी अनेक माताओं ने तो अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, जो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, आदर्श हैं।

अब सर्वदेवमयी गोमाता की ओर ध्यान दीजिये, जो **सर्वश्रेष्ठ–सर्वोपरि** हैं। क्योंकि गोमाता धर्म–जाति देखे बिना सभी को अपना अमृतरूपी दूध और दिव्य–विलक्षण औषधीय गुणों से समृद्ध गोबर–गोमूत्र प्रदान करती हैं। सबका कल्याण–मंगल करने में सक्षम हैं। धर्म–अर्थ–काम–मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करने की सामर्थ्य रखती हैं। जिनकी सेवा–रक्षा करने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा को मानव रूप (गोपाल–गोविंद) धारण करना पड़ा। जिनकी महिमा का बखान सभी वेद, पुराण, उपनिषद करते नहीं थकते। जो संपूर्ण ब्रह्मांड में अतुलनीय हैं। जिनके मात्र दर्शन–स्पर्श करने से सभी प्रकार के पाप–ताप नष्ट हो जाते हैं। जिनकी पूजा, अर्चना, वंदना करने से सभी देवी–देवताओं की पूजा, अर्चना, वंदना संपन्न हो जाती है। बावजूद इस सब के हमारी गोमाता– गोवंश घोर उपेक्षित होकर मारा–मारा फिर रहा है। गोवंश– हत्या अभी भी निरंतर जारी है, जो भारतमाता के ललाट पर कलंक है, जिसको मिटाना अनिवार्य है। इसलिए परमगोभक्त प्रधानमंत्री मोदी जी का परमकर्तव्य है कि वे इस कलंक को मिटाने के लिए त्वरित ठोस कार्यवाही करें, जिसका प्रभाव प्रत्यक्षरुप से दिखाई दे। सर्वदेवमयी गोमाता के श्रीचरणों में प्रार्थना करता हूं कि वे मोदी जी व संपूर्ण परिवारजनों को इस अतिशय दुःख को सहन करने की शक्ति और धैर्य प्रदान करें। गोरक्षा विभाग, विश्व हिंदू परिषद उनकी दिवंगत आत्मा के प्रति आत्मिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है। शत–शत नमन।

(सम्पादक)

वैद्य गोपाल कृष्ण सोलंकी (पंचगव्य चिकित्सक)

गोबर अर्थात गो-वर

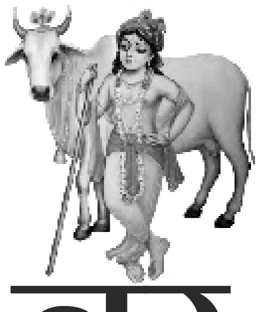

नवंबर 2021 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक डॉक्टर गोबर खाते हुआ दिख रहा था। इस डॉक्टर का नाम मनोज मित्तल है। वे करनाल के रहने वाले हैं। एमबीबीएस डॉक्टर मनोज मित्तल पिछले कई सालों से गोमूत्र पीते और गोबर खाते हैं। डॉक्टर मनोज मित्तल ने गोबर खाने के पीछे कई तर्क दिए। हालांकि, दुनियाभर के मेडिकल साइंटिस्ट ऐसे दावों को अंधविश्वास से जोड़कर देखते रहे हैं। गाय के गोबर से कई बीमारियों के ठीक होने का दावा डॉक्टर मनोज मित्तल कर रहे हैं। डॉक्टर मनोज मित्तल करनाल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और उनका अपना हॉस्पिटल भी करनाल में है। वायरल वीडियो पर लोग कई तरह के रिएक्शन दे रहे थे। कई लोग डॉक्टर मनोज मित्तल की डिग्री पर भी सवाल उठा रहे हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो लोग डॉक्टर मित्तल की बात से सहमत हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तेजी से वायरल हो रहा है। डॉ. मित्तल ने बताया कि गाय से पंचगव्य मिलता है जिसका एक–एक हिस्सा मनुष्य के लिए अतिलाभदायक है। उन्होंने कहा कि गाय का गोबर खाने से हमारा तन–मन शुद्ध हो जाता है। हमने इसको एक बार खा लिया तो हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। आज हम इसी विषय पर आपको जानकारी देंगे कि गो–वर जिसे हम आज की भाषा में गोबर/गोमय आदि नामों से पुकारते हैं। क्योंकि गोबर हिन्दू आस्था से जुड़ा है, गोमाता से जुड़ा है इसलिए इस पर इतने प्रश्न, आलोचना और टीका–टिप्पणी हैं। जबकि असलियत में यदि हम विश्व परिप्रेक्ष्य में देखें तो पाते हैं कि भारत ही नहीं विश्व के अन्य देशों में लोग न जाने क्या–क्या अजीबो–गरीब खाते हैं, अजीब चीजों का प्रयोग करते हैं और ऐसी चीजों पर अपनी कमाई का बडा हिस्सा खर्च भी करते हैं। जबकि उन चीजों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता और न ही कोई स्वास्थ्य संबंधित लाभ ही होता है। इन अजीब–गरीब चीजों को खाने व उपयोग करने में लोग गर्व का अनुभव करते हैं।

'इंडियन स्विफ्टलेट चिड़िया का घोंसला' है, जो वो अपने थूक से धीरे–धीरे बुनती है। थूक से बुना यह घोंसला चीन में सूप बना कर बड़े चाव से खाया जाता है। चीन तथा दक्षिणी एशियाई देशों में यह मान्यता है कि इस चिड़िया के थूक या लार से बने घोंसले का सूप पीने से त्वचा सुंदर होती है और यौन उत्तेजना बढ़ती है। इन घोंसलों की कीमत 3 लाख से 8 लाख रुपये प्रति किलोग्राम होती है।

बंदरों के थूक से बनी कॉफी – यह कॉफ़ी बंदर द्वारा थूके गये कॉफ़ी (Monkey Parchment Coffee) बीजों से बनाई जाती है। यह कॉफ़ी 40 हजार रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाती है।

हाथी के मल से बनी कॉफ़ी – Elephant Poop coffee अर्थात हाथी के मल से बनी कॉफ़ी। इस कॉफ़ी को ***थाईलैंड में 'ब्लैक आइवरी कॉफ़ी'*** के नाम से बेचते हैं। यह विश्व प्रसिद्ध है तथा इसकी कीमत 1.5 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है।

पांडा जीव के मल से बनी हुई खाद

Panda Poop Green Tea अर्थात पांडा जीव के मल से बनी हुई खाद, जिससे ग्रीन चाय उगाई जाती है। इस ग्रीन टी की कीमत 50 ग्राम 2.5 लाख रुपए में बेची गयी है। पांडा के मल से ही इन चाय की पत्तियों में विशेष स्वाद आता है।

बिल्ली के मल से निकले बीजों की कॉफी

'Kopi Luwak Coffee' – इस कॉफ़ी को Civet Cat/सिवेट बिल्ली के मल से निकले कॉफी बीजों से बनाई जाती है। यह कॉफ़ी 70–80 हजार प्रति किलोग्राम में बेची जाती है। इस कॉफ़ी का उत्पादन भारत में कुर्ग नामक स्थान पर किया जाता है।

Bug A Poop Tea – इस चाय को कुछ कीड़े Organic Camellia Sinesis नामक एक प्रकार की चाय को खाते हैं और जो मल यह कीड़े निकालते हैं, उस मल को लोग एकत्रित कर लेते हैं फिर उसे सूखा लेते हैं। इस सूखे मल को थोड़े समय रख करके पैक कर दिया जाता है। ऐसा लोगों का विश्वास है कि इस चाय में औषधीय गुण होते हैं।

Weasel Derived Coffee – यह कॉफ़ी weasel/विजल नामक एक जीव की उल्टी किये गए कॉफ़ी बीजों से बनाई जाती है। इनकी उल्टी से निकले बीजों की यह विशेषता यह है कि इनसे इस कॉफ़ी का कड़वापन खत्म हो जाता है और इसका स्वाद चॉकलेट जैसा हो जाता है। इस कॉफ़ी को अमेरिका में तथा विश्व के अन्य देशों में पसंद किया जाता है।

भारत के 30 प्रतिशत लोग मांसाहारी है जो रोज मांस खाते हैं और सब तरह का मांस खाते हैं। मांस के साथ ही दूसरी जो चीज गाय या अन्य पशुओं के कत्ल से प्राप्त की जाती है वह है तेल! उसे Tellow कहते हैं। जैसे गाय के मांस से जो तेल निकलता है उसे Beef Tellow और सूअर के मांस से जो तेल निकलता है उसे Pork Tellow कहते हैं। इस तेल का सबसे ज्यादा उपयोग चेहरे में लगाने वाली क्रीम बनाने में होता है, जैसे Fair & Lovely, Ponds, Emami इत्यादि।

यह तेल क्रीम बनाने वाली कंपनियों द्वारा खरीदा जाता है और जैसा कि आप जानते हैं Fair and Lovely के खिलाफ एक Case किया था जिसमें कंपनी ने खुद माना था कि हम इस Fair and Lovely में सूअर की चर्बी का तेल मिलाते हैं!

स्मरण रहे कत्लखानों में मांस और तेल के बाद जानवरों का खून निकाला जाता है! कसाई गाय और दूसरे पशुओं को पहले उल्टा रस्सी से टांग देते हैं, फिर तेज धार वाले चाकू से उनकी गर्दन पर वार किया जाता है और एक दम खून बहने लगता है, नीचे उन्होंने एक ड्रम रखा होता है जिसमें खून इकट्ठा किया जाता है। तो खून का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है अँग्रेजी दवा (एलोपैथिक) बनाने में। पशुओं के शरीर से निकले हुए खून से एक दवा बनाई जाती है जिसका नाम है *DeÛorange*! यह बहुत ही Popular दवा है और डाक्टर इसको खून की कमी के लिए महिलाओं को लिखते हैं, खासकर जब वो गर्भावस्था में होती हैं, क्योंकि तब महिलाओं में खून की कमी आ जाती है और डाक्टर उनको जानवरों के खून से बनी दवा

लिखते हैं, क्योंकि उनको दवा कंपनियों से बहुत भारी कमीशन मिलता है!

इसके इलावा इस रक्त का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर Lipstick बनाने में होता है! इसके बाद रक्त का एक और प्रयोग चाय बनाने में बहुत–सी कंपनिया करती हैं! अब चाय तो पौधे से प्राप्त होती है! और चाय के पौधे की ऊंचाई उतनी ही होती है जितनी गेहूँ के पौधे की। उसमें पत्तियाँ होती हैं और पत्तियों के नीचे का जो हिस्सा टूट कर गिरता है जिसे डंठल कहते हैं। लेकिन ये चाय नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, इसको चाय जैसा बनाया जाता है। अगर उस निचले हिस्से को सुखा कर पानी में डालें तो चाय जैसा रंग नहीं आता! तो ये कंपनियाँ जानवरों के खून को इसमें मिलाकर, सूखाकर डिब्बे में बंद कर बेचती हैं। तकनीकी भाषा में इसे Tea Dust कहते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनियाँ नाखून पॉलिश बनाने में भी प्रयोग करती हैं।

मांस, तेल, खून के बाद कत्लखानों मे पशुओं की हड्डियाँ निकलती हैं, जिनका प्रयोग Tooth Paste / दाँतों को साफ करने वाली लुगदी बनाने वाली कंपनियाँ करती हैं। Colgate, Close Up, Pepsodent, Cibaca, आदि आदि! Shaving Cream बनाने वाली काफी कंपनियाँ भी इसका प्रयोग करती हैं! आजकल इन हड्डियों का प्रयोग टैल्कम चूर्ण / Telcom Powder बनाने में भी होने लगा है, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। वैसे टैल्कम पाउडर पत्थर से बनता है। और 60 से 70 रुपए किलो मिलता है और पशुओं की हड्डियों का चूर्ण 25 से 30 रुपए किलो मिल जाता है।

इसके बाद गाय की ऊपर की जो चमड़ी है उसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है Cricket Ball बनाने में! आजकल यह बॉल सफ़ेद रंग की आती है! जो गाय की चमड़ी से बनाई जाती है। गाय के बछड़े की चमड़ी का प्रयोग ज्यादा होता है गैंद बनाने में! पर Foot Ball बड़ी होती है जिसमें ज्यादा प्रयोग होता है गाय के चमड़े का!!

आजकल एक अन्य उद्योग में इस चमड़े का बहुत उपयोग हो रहा है–जूते चप्पल बनाने में! अगर जूता चप्पल बहुत ही Soft है तो वो 100 प्रतिशत गाय के बछड़े के चमड़े का बना है और अगर कठोर है तो ऊंट और घोड़े के चमड़े का! इसके अलावा चमड़े का उपयोग पर्स, बैल्ट व सजावट के सामान में किया जाता है !!

इसके अलावा... गाय के शरीर के अंदर के कुछ भाग हैं, जिनका भी बहुत प्रयोग होता है! जैसे–गाय की बड़ी आंत, जिसे पीस कर Gelatin बनाई जाती है! जिसका बहुत ज्यादा उपयोग : आइसक्रीम, चाकलेट, मैगी, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, चौमीन बनाने में होता है। एक Jelly आती है– Red Orange Color की जिसमें Gelatin का बहुत प्रयोग होता है! Chew gum तो Gelatin के बिना बन ही नहीं सकती!! आजकल जिलेटिन का उपयोग साबूदाना बनाने में भी होने लगा है, जो हम उपवास में खाते हैं। अतः जो अपने आप को शाकाहारी कहते हैं और कहीं न कहीं इस मांस का प्रयोग कर रहे हैं वे अंजाने में अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं।

'पनीर / चीज़' के उत्पादन में 'रेनेट' का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग दही के उत्पादन के लिए दूध को जमने / जमाने के लिए भी किया जाता है, जिसे बाद में पनीर में संशोधित किया जाता है। रेनेट पारंपरिक रूप से एक बछड़े के पेट (या एबोमैसम) से उत्पन्न होता है, जिसमें एंजाइम रेनिन होता है। इसे प्राप्त करने के लिए नवजात बछड़ों को मारकर उनके पेट से प्राप्त किया जाता है। इस चीज़ का प्रयोग पिज्जा उद्योग में किया जाता है।

जीव की 84 लाख योनियाँ मानी गयी हैं। इनमें से केवल गाय ही एकमात्र ऐसा प्राणी है, जिसके मल को मल नहीं वरन् मलशोधक माना जाता है। इससे किसी को घृणा नहीं होती। इसे त्याज्य की नहीं वरन् संग्रह की वस्तु माना जाता है। गाय का गोबर रस कसैला एंव कड़वा होता है तथा कफजन्य रोगों में प्रभावशाली है। गोबर के अन्य नाम भी हैं – गोविन्द, गोशकृत, गोपुरीषम्, गोविष्ठा, गोमल आदि। भगवान शिव के प्रिय विल्वपत्र की उत्पत्ति गाय के गोबर से बताई गयी है। ऐसा भी कहा गया है कि रामायण में श्री भरत जी ने भी वनवास के समय गोमय से निकले अन्न का प्रयोग किया था और गोसेवा करते हुए एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया था। भोजन का आवश्यक तत्व विटामिन बी–12 शाकाहारी भोजन में नहीं के बराबर होता है। गाय की बड़ी आँतों में विटामिन बी–12 की उत्पत्ति प्रचुर मात्रा में होती है, पर वहाँ इसका आवशोषण नहीं हो पाता है, अतः यह विटामिन गोबर के साथ बाहर निकल आता है। प्राचीनकाल में ऋषि–मुनि गोबर के सेवन से पर्याप्त विटामिन बी–12 प्राप्त कर स्वास्थ्य लाभ लेते थे। गोबर के सेवन तथा लेपन से अनेक व्याधियाँ समाप्त होती हैं। जैसे अग्नि में ईंधन जल जाता है, वैसे ही

पंचगव्य प्राशन से पाप के दूषित संस्कार नष्ट हो जाते हैं। *अग्रंमग्रं चरंतीना, औषधिना रसवने।*
गोमयालेपनंतस्मात् कर्तव्यं पाण्डुनन्दन।।
यन्मे रोगांश्चशोकांश्च, पांप मेंहर गोमय।

अर्थात वन में अनेक औषधियों के रस का भक्षण करने वाली गाय, उसका पवित्र और शरीर शोधन करने वाला गोबर। तुम मेरे रोग और मानसिक शोक और ताप का नाश करो।

अपाने सर्वतीर्थानी गोमुत्रे जाह्नवी स्वयं।
अष्टऐश्वर्यमयी लक्ष्मी गोमय वसते सदा।।

अर्थात गाय के मुख से निकली श्वास सभी तीर्थों के समान पवित्र होती है तथा गोमूत्र में सदा गंगाजी का वास रहता है। और आठ ऐश्वर्यों से सम्पन्न लक्ष्मी गाय के गोबर में वास करती है। *तृणं चरन्ती अमृतं क्षरन्ती।* गाय माता घास चरती है और अमृत की वर्षा करती है तथा गाय का गोबर देह पर लगाकर शरीर शुद्ध करते समय हमारे धर्म–कर्म में महत्व अधिक रहता है। गोबर में बारीक सूती कपड़े को दबाकर छोड दें, थोड़ी देर बाद इस कपड़े को निचोड़कर गोमय प्राप्त कर सकते हैं। गोबर–स्नान अर्थात् शरीर पर गोबर मलकर स्नान करने से दाद, खुजली जैसे त्वचा–रोगों से मुक्ति मिल जाती है। देखने में आया है कि नियमित रूप से गोबर का काम करने वालों के हाथों और पैरों में खुजली, दाद, एग्जीमा जैसे रोग कभी नहीं होते।

गाय के गोबर से घरों को लीपने–पोतने से रोगाणु नष्ट होते हैं तथा वातावरण स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद रहता है। आज के विज्ञान ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है। देशी गाय के गोबर से लिपी हुई जमीन पर प्रतिदिन बैठने से शरीर के बहुत से रोग नष्ट होते हैं। लोग गोबर और गोमूत्र से प्रातःकाल घर के द्वार लीपते हैं। इसका कारण यही है कि दोनों द्रव्य रोग–कीटनाशक हैं।

गोमय से विभिन्न रोगों का उपचार

हैजा : शुद्ध पानी में गोबर का रस घोलकर पीने से इस रोग से बचाव होता है। गाय के गोबर का सत्व निकाल कर उसे जहाँ–जहाँ पानी में डालकर देखा गया, वहाँ की घनी बस्ती में भी कहीं हैजा नहीं हुआ। इटली में हैजा या अतिसार के रोगी को ताजे पानी में ताजा गोबर घोलकर पिलाते हैं। गोबर में हैजा के कीटाणुओं को मारने की शक्ति देखते हुए पेयजल स्रोतों को गोबर मिलाकर शुद्ध करने की सलाह दी जाती है।

चर्मरोग : जल में गोबर का रस घोलकर पीने तथा गोबर प्रभावित भाग पर गोबर मल कर गर्म पानी से स्नान करने से बहुत से चर्मरोग नष्ट हो जाते हैं। गोबर मलकर स्नान करने से खुजली दूर हो जाती है।

विभिन्न प्रकार के चर्मरोग मरिच्यादि तेल से नष्ट हो जाते हैं। यह चमत्कारी तेल गोबर के रस से ही बनता है।

अग्निदग्ध : आग से जल जाने पर गोबर का लेपन रामबाण औषधि है। ताजा गोबर का बार–बार लेप करते हुए उसे ठंडे पानी से धोते रहना चाहिए। यह व्रणरोधक तथा कीटाणुनाशक है।

सर्पदंश : विषधर साँप, बिच्छू या अन्य जीव के काटने पर रोगी को गोबररस पिलाने तथा शरीर पर गोबर का लेप करने से विष नष्ट हो जाता है। अति विषाक्तता की अवस्थाओं में गोबर के रस का सेवन मस्तिष्क तथा हृदय को सुरक्षित रखता है।

दंतरोग : गोबर के उपले को जलाकर पानी डालकर ठंडा करें। तदंतर उसे सुखाकर, बारीक पीसकर शीशी में रखें। इस गोबर की राख का मंजन करने पर पायरिया, मसूड़ों से खून गिरना, दंतकृमि तथा दाँतों के अन्य रोगों का भी क्षय होता है।

टी.बी. : गाय के गोबर में टी.बी. के जंतुओं का संहार करने की विचित्र शक्ति है। वैद्य लोग क्षय रोगियों को गायों के बाड़े में सुलाने को कहते हैं, क्योंकि गोमूत्र और गोबर की गंध से क्षयरोगी के शरीर के क्षय–जंतु मर जाते हैं। क्षयरोगी के पलंग को प्रतिदिन गोबर और गोमूत्र के जल से धोना भी लाभदायक होता है। टी.बी. सेनिटोरियमों में गोबर का उपयोग किया जाता है।

दृष्टि–मांद्यता : गोबर के रस में रस से 4 गुना तेल मिलाकर गर्म किया जाये और जब तक सम्पूर्ण रस तेल में न मिल जाये, तब तक गरम किया जाये। जब केवल मात्र तेल ही शेष बच जाये तो यह गोमय–तेल दृष्टि–मांद्यता में बहुत उपयोगी है। गोमय–तेल आँखों में लगाने से नेत्र–ज्योति निश्चित रूप से बढ़ती है।

दाद–खुजली : दाद, जो कि चर्मरोग है, में खुजलाहट घाव पैदा कर देती है। यदि दाद को कंडे से खुजलाकर दवा लगायी जाये तो दाद की बीमारी तुरंत दूर की जा सकती है। सूखी खुजली में गोबररस रामबाण पदार्थ है।

गोबर की राख : गोबर को जलाने के उपरांत बनी राख भी उपयोगी है। शरीर पर गोबर की राख रगड़ने से शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है। रुधिर–तन्त्र स्वतः ही ठीक ढंग

से कार्य करने लगता है। राख से दाँत और बर्तन चमकाने की उपादेयता से कौन–सी गृहिणी अनभिज्ञ होगी।

पसीना : अत्यधिक पसीना आने पर सूखे हुए गोबर का चूर्ण शरीर पर रगड़कर कुछ समय बाद स्नान करने से अधिक पसीना आना बंद हो जाता है।

पेट के कीड़े : बच्चों के पेट में छोटे–छोटे कृमि हो जाने पर गोबर की छानी हुई राख 10 गुना पानी में मिलाकर 2–2 घूँट बालक को 2–4 बार पिलाने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं।

गोमय के अन्य उपयोग

आग से जल जाने या चोट से घाव होने पर गोमय रस के लेप से अच्छा हो जाता है। खुजली, चकत्ते आदि रोग तो गोमूत्र और गोबर के प्रयोग से बात–की–बात में अच्छे हो जाते हैं। गोबर के कंडे की आग में विशेष प्रभावोत्पादक किरणें होती हैं। इसी कारण विभिन्न प्रकार की औषधियाँ एवं रस बनाने में केवलमात्र गोबर की आग ही काम में ली जाती है। बंदर के काटने से हुए घाव पर गर्मा–गर्म ताजा गोबर लगाने से पीड़ा जादुई रूप से समाप्त हो जाती है।

गोमहिमा अनंत है

दाह संस्कार के बाद 70–75 किलो का शरीर 20–25 ग्राम राख में परिवर्तित हो जाता है और उस राख का वैज्ञानिक विश्लेषण करने पर पाया गया कि इसमें सभी 18 मिक्रोनुट्रिएंट वही तत्व मौजूद हैं जो गोमूत्र में हैं, अर्थात शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना है वह सभी गोमूत्र में मौजूद हैं। यह तभी मिल सकता है जब गाय संरक्षित हो व उसका संवर्धन भी किया जाये।

दीपावली के पांच दिन के त्योहारों के क्रम में गोमय यानी गोबर की पूजा की जाती है। पूरे विश्व में केवल गोमाता के ही मल यानी गोबर की पूजा होती है। गो–वर, अर्थात यह गो का वरदान है। हवन स्थल या घर को पवित्र करने के लिए गोबर का लेपन लगाया जाता है, सभी प्रकार के दोषों, यहाँ तक कि आणविक प्रभाव को भी निष्फल करने की ताकत है गोबर में। गोबर की खाद से आज जो अन्न या सब्जी उपजाई जा रही हैं, उनकी मांग और मूल्य दोनों ही ज्यादा हैं क्योंकि उनकी गुणवत्ता ही अलग है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते है : ***"गोमये वसते लक्ष्मी"***।

हम अपने जीवन से, गौ को नहीं हटा सकते। हमारी ऐसी परंपराएं हैं जो ऐसा होने नहीं देंगीं। गौ पृथ्वी स्वरूपा माँ है, यह प्राणी नहीं प्राण है और जानवर नही जान है इस देश की। जीवन से मृत्यु तक के सारे के सारे 16 संस्कार और त्यौहार चाहे दीपावली हो या होली हो, विजयदशमी हो या नवरात्र बिना गौ के नहीं हो सकते। भगवान का जन्म ही गौ की रक्षा के लिए हुआ। रामायण की चौपाई बोल रही है : ***विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार।।***

सात्विकता और संस्कार की जननी है माँ और गोमाता। समाज में फैली पाशविकता को सात्विकता और अच्छे संस्कार से भी समाप्त किया जा सकता है, और गाय तो, विश्व की माता है, यह वेद कहते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर आप गौ–भस्म का ध्यान से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह गोभस्म (राख) आपके लिए कितनी उपयोगी है। साधु–संत संभवतः इन्हीं गुणों के कारण इसे प्रसाद रूप में भी देते थे। जब गोबर से बनाई गई भस्म इतनी उपयोगी है तो गाय कितनी उपयोगी होगी, यह आप सोच सकते हैं। आपको एक लीटर पानी में 10 ग्राम यानी दो चम्मच भस्म मिलाना है, अच्छी तरह से मिलाना है। इसके बाद भस्म जब पानी के तल में बैठ जाए, फिर इस पानी को पीते रहना है। इससे पानी की सारी अशुद्धि दूर हो जाएगी और आपको मिलेंगे ढेर सारे पोषक तत्व। यह लैबोरेटरी द्वारा प्रमाणित है। शायद आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी कि शरीर में आक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए गोबर की भस्म कितनी उपयोगी है। इसलिए अगर आपको स्वस्थ रहना हो तो अवश्य ही इसी पानी का प्रयोग करना चाहिए।

गोमय ध्यान, आसन का उपयोग केवल बैठने या पूजा करने और ध्यान करने के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि यह प्राकृतिक चिकित्सा उपचार के लिए सबसे अच्छे आसनों में से एक है, जो आजकल पूरी तरह से हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मेरा अनुरोध है कि निरामिष भोजन अपनायें, गोसेवा, गोसंवर्द्धन करें और स्वस्थ रहें।

बद्रीनारायण विश्नोई

गोवंश संरक्षण के लिए आत्मसंकल्पित होना आवश्यक

गोवंश की महत्ता से हम अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन असल में गोसेवा के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं, यह विचारणीय है! सच्चे गोसेवक वे लोग हैं, जो अहर्निश निःस्वार्थ भाव से इस पुनीत कार्य के प्रति संकल्पित हैं। आज गोसेवा के नाम पर पूरे देश में हज़ारों की तादाद में संस्थाएं हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से इस दिशा में कितनी संस्थाएं लगातार कार्य कर रही हैं! इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि बहुत–सी तथाकथित गोसेवा समितियां और संस्थाएं केवल काग़ज़ों में ही हैं, सही में उनका कोई अस्तित्त्व नहीं है। ऐसी संस्थाएं गोसेवा के नाम से जनता को लूट रही हैं। ऐसे दिखावटी लोगों की सही पहचान कर, उनको बेनक़ाब कर, उनके ख़िलाफ़ विधिक क़ार्रवाई करने की आज बेहद ज़रूरत है; क्योंकि ऐसे ग़लत लोगों के कारण सच्चे गो–भक्तों को भी जनता इन्हीं लोगों की तरह समझने लगती है। इसलिए गोवंश संरक्षण के लिए हमें व्यर्थ के दिखावे, शोर–शराबे आदि से दूर रहकर, सही अर्थों में गोसेवा करने की आवश्यकता है। हमें यह सदा याद रखना होगा कि गोवंश भारतीय संस्कृति, कृषि और पर्यावरण से जुड़ी अमूल्य सम्पदा है। लेकिन हमारी घोर स्वार्थपरता के कारण यह आज उपेक्षा का शिकार हो रहा है। हम अपने नैतिक कर्तव्यों से मुंह मोड़ रहे हैं। यह हमारे आत्मिक पतन को दर्शाता है। दूसरी ओर देश के विभिन्न राज्यों की सरकारें और गोसेवा से जुड़ी प्रतिष्ठित संस्थाएं इस दिशा में अनेक योजनाएं चला रही हैं। सभी की साझा ज़िम्मेदारियों से ही हम व्यवस्था से इन योजनाओं का ईमानदारी से क्रियान्वयन करवा कर, गोवंश संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। हम बहुत ही छोटे–छोटे प्रयासों जैसे कि प्रतिबंधित श्रेणी के प्लास्टिक के निर्माण और उपयोग पर रोक से जुड़े सरकारी कार्यों तथा प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में जनता और गोवंश पालकों को जागरूक कर, गोवंश के स्वास्थ्य सुरक्षा को और क़ारग़र बना सकते हैं।

सुपरिणामस्वरूप पॉलिथीन नष्टीकरण, गोवंश, मृदा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ज़ारी विभिन्न प्रयासों को और गति मिलेगी। अभी कुछ माह पूर्व गोवंश में त्वचा से जुड़ी लम्पी बीमारी (एल.एस.डी.) से देश में हज़ारों की संख्या में गोवंश असमय काल के गाल में समा गया। ऐसे विकट समय में सच्चे गोसेवक, चिकित्सक और विभिन्न संस्थाओं ने बड़ी हिम्मत से लगातार गोसेवा करते

हुए, उनके लिए टीके, औषधियां और अन्य वांछित सुविधाएं उपलब्ध करवाकर अनुकरणीय कार्य किए हैं। सुपरिणामस्वरूप अब गोवंश को लम्पी बीमारी से काफ़ी हद तक राहत मिल गई है। गोवंश पर आए इस संकट से हमें सच्चे गोभक्तों की पहचान हो गई।

गोवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आज देश में गो तस्करी, हत्या आदि पर पूर्णतः प्रतिबंध की ज़रूरत है। इस दिशा में सभी गोभक्तों को समवेत स्वर में आवाज़ को और मुखर करने की ज़रूरत है। समय की मांग है कि पशु क्रूरता से जुड़े आपराधिक मामलों में समय पर सही क़ार्रवाई और जांच हो। प्रायः ऐसे मामलें काफ़ी वर्षों से विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं। उनकी उचित पैरवी नहीं होने, पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव आदि कारणों से दोषियों को सख्त सज़ा नहीं मिल पाती है। देश के गोपालकों और इससे सम्बद्ध विभिन्न संस्थाओं को इस दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे। गोवंश तस्कर–हत्यारों को सज़ा मिलने से निश्चित रूप से ऐसे अपराधों पर अंकुश लगेगा।

यह सुखद बात है कि आज गाय को 'माता' के दर्जे के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरज़ोर तरीक़े से आवाज़ उठ रही है। वास्तव में इस कार्य के लिए गोसेवा से जुड़े सभी कार्यकर्त्ताओं और संस्थाओं को एकजुट होकर सरकार से क़ानून बनाने की मांग लगातार करनी चाहिए, जिससे इस दिशा में किए जा रहे प्रयास रंग ला सकें। गोवंश संरक्षण के लिए युवा पीढ़ी को गो संस्कृति और उनके महत्त्व के बारे में जागरूक करने के लिए गो साहित्य को स्कूली पाठ्यक्रमों में उचित स्थान दिलाना चाहिए। इस कार्य में गोवंश से संबद्ध पत्र– पत्रिकाओं की बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। युवा पीढ़ी को गो संस्कृति से जुडीं शैक्षिक संस्थाओं, पवित्र स्थानों, तीर्थ स्थलों, गोशालाओं आदि का भ्रमण करवाया जाय। आज गो–संस्कृति, चिकित्सा, आयुर्वेद सहित विभिन्न विषयों के अध्ययन–अध्यापन के लिए पर्याप्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खोलने की भी आवश्यकता है, ताकि विद्यार्थियों को इस दिशा में शिक्षण–प्रशिक्षण, शोध, प्रबंधन आदि के अवसर मिल सकें, जिससे युवा पीढ़ी को पशुपालन, डेयरी और गोउत्पाद से जुड़े विभिन्न श्रेणी के उद्योगों में रोज़गार मिल सके।

(लेखक राजस्थान सरकार में तहसीलदार हैं)

कार्यालय/पशुधन विभाग प्रयागराज नगर निगम

प्रयागराज नगर निगम सीमाक्षेत्र में यह देखने में आया है कि डेयरी संचालक / पशुमालिक अपने पशुओं को रोड़ किनारे बांधते हैं एवं दूध निकालकर खुला छोड़ देते है। जिससे गोबर नालियों में इकट्ठा होता है, जो मक्खी, मच्छर जनित अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है साथ ही रोड़ पर खुला घूमने वाले पशु रास्ते एवं कूड़ा अड्डा में नगरवासियों द्वारा रसोई से बचे हुये भोजन, सब्जी के छिलका एवं अन्य खाद्य सामाग्री को पॉलीथीन में बांधकर कूड़े में फेक देते है, जिसे वहाँ पर टहलने वाले पशु विशेषकर गौवंश पॉलीथीन सहित खा जाते है। जिससे गौवंश अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नगरवासी उन्ही गौवंशों से प्राप्त दूध का सेवन करते है। कही ऐसा न हो कि मनुष्य भी आने वाले समय में तरह–तरह की गंम्भीर बीमारियों का शिकार हो।

समस्त नगरवासियों से अनुरोध है कि बाजार जाते समय अपने साथ कपड़े / जूट का झोला / थैला साथ लेकर जाए जिससे सामान, सब्जी एवं फल इत्यादि को खरीदते समय पॉलीथीन का प्रयोग न करना पड़े। यह जन एवं पशुकल्याण हित में है।

पशुचिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी
नगर निगम प्रयागराज

खेम चंद शर्मा (राष्ट्रीय संगठन मंत्री, गोरक्षा विभाग, विहिप)

भाग्यनगर में गोरक्षा विभाग, विहिप की राष्ट्रीय बैठक संपन्न

भाग्यनगर (तेलंगाना) स्थित दादाबाड़ी जैनमंदिर में गत 16, 17 एवं 18 दिसंबर, 2022 को गोरक्षा विभाग, विहिप की तीन दिवसीय राष्ट्रीय बैठक भव्य, सुरम्य वातावरण में सम्पन्न हुई। बैठक में देश भर से 200 कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन भारतीय गोवंश रक्षण–संवर्धन परिषद के महामंत्री मा. राजेन्द्र सिंहल जी ने किया।

सर्वप्रथम सर्वदेवमयी गोमाता (वत्सला पुंगनूर) की विधि–विधानपूर्वक पूजा–अर्चना की गई। तदुपरांत ॐ की ध्वनि, एकात्मता स्तोत्र, विजय मंत्र, संघ–प्रार्थना एवं दीप प्रज्वलन के साथ बैठक की कार्यवाही आरंभ की गई।

विश्व हिन्दू परिषद के केंद्रीय मंत्री एवं गोरक्षा विभाग के राष्ट्रीय संगठन मंत्री मा. खेमचंद जी ने क्षेत्रीय गोरक्षा प्रमुखों का परिचय कराते हुए कहा कि वाचस्पति त्रिपाठी जी बैल ऊर्जा के केंद्रीय प्रमुख नियुक्त किये गये हैं एवं ओम प्रकाश जी लखनऊ क्षेत्र के पंचगव्य प्रमुख होंगे। उन्होंने कहा कि हम पिछले एक वर्ष के कार्यों का सिंहावलोकन और आगामी वर्ष की कार्य योजना तैयार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। "स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हम गाय के माध्यम से बेरोजगार को नौकरी तो नहीं दे सकते, लेकिन रोजगार तो दे ही सकते हैं। इसके लिए रचनात्मक कार्यों की आवश्यकता है।

इसी प्रकार कर्ज मुक्त किसान योजना के तहत किसान को समृद्ध बनाना आवश्यक है, क्योंकि गाय किसान के खूंटे पर ही बचेगी। ''गोमये वसते लक्ष्मी'' यह सिद्ध करके किसान को हर प्रकार से समझाना होगा। इसलिए संगठन ने हमें जो जिम्मेदारी दी है, उस कार्य का हमको विशेषज्ञ बनना होगा, तभी हम सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाने में सफल होंगे। इसलिए हम सभी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी पर खरे उतरें।

मा. खेमजी ने कहा कि विषय के विशेषज्ञ एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी को प्रांतशः प्रवास करना अनिवार्य है। गोविज्ञान –परीक्षा, गोसम्पदा– सदस्यता एवं आगे की योजनाओं के संदर्भ में भी कार्यकर्ताओं से जानकारी ली। जोर देते हुए उन्होंने अपील की कि गोरक्षा का काम राजनीति के लिए नहीं, गोवंश के लिए करें। विश्व हिन्दू परिषद के संयुक्त महामंत्री मा. स्थाणु मालयन जी ने कहा कि हमारा कार्य गोपालन, गोसंरक्षण एवं गोसंवर्धन है। इन सब कार्यों के लिए गोभक्ति आवश्यक है। अब घर–घर में गाय होना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि यह विषय जीवनशैली में शामिल होना चाहिए। वास्तव में समृद्धशाली भारत के लिए हम सभी को मन–बुद्धि एवं शरीर से मिलकर काम करना होगा।

भारतीय गोवंश रक्षण–संवर्धन परिषद के अध्यक्ष प्रो. गुरुप्रसाद जी ने कहा कि भारत में गांवों को शहर बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि गांव को गांव ही रहना आवश्यक है। आज गाय का विषय बड़ा हो गया है, जिसके विरोध में विश्व की शैतानी शक्तियां खड़ी हैं, जो विश्व का संचालन कर रही हैं, जो डिब्बा वाले दूध के समर्थन में हैं। इसलिए वे चाहतीं हैं कि गोवंश –पशुपालन बंद हो, क्योंकि इनके कारण मीथेन गैस निकलती है। अतः उनकी एक बड़ी लाबी पर्यावरण –प्रदूषण के नाम पर विरोध में खड़ी हो रही है। वस्तुतः सभी कंपनियां दवाओं का बाजार विकसित करने के

उद्देश्य से इकट्ठी हुई हैं। इसलिए हम सबको यह विषय समाज के अंदर लाना होगा। उन्होंने बताया कि मार्केट से खरीदा हुआ सामान जी.डी.पी. बढ़ाता है, जबकि जो वस्तुएं हम घर में बनाते हैं उनसे जी.डी.पी. नहीं बढ़ता है। हम स्वतंत्र कार्यकर्ता हैं, इसलिए हमें आवाज उठानी चाहिए, सरकार की ओर नहीं देखना है। अब भारत की सज्जन शक्तियां जाग गई हैं। हमें भारत को बचाना है और भारत गाय के आधार पर ही बचेगा। अतः गाय को बचाने के साथ ही उसे किसान के खूंटे पर पहुंचाना होगा। तदुपरांत राजेन्द्र सिंहल जी ने पिछली बैठक की कार्यवाही और कार्यवृत्त का वाचन किया। साथ ही वर्ष 23–24 के लिए भारतीय गोवंश रक्षण–संवर्धन परिषद के बजट की जानकारी दी। इसी क्रम में गोवंश–हत्या एवं मांस निर्यात निरोध परिषद के कोषाध्यक्ष श्री सुरेश कटारिया जी ने आगामी वर्ष हेतु इस परिषद का बजट प्रस्तुत किया।

विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय उपाध्यक्ष मा. हुकुमचंद सावला जी ने कहा कि भारत आस्था के अर्थशास्त्र पर टिका हुआ है। इसलिए जब तक मन में गाय रहेगी तब तक भारत आस्था के अर्थशास्त्र पर टिका रहेगा। स्मरण रहे, लगभग 145 देशों की वस्तुओं पर गाय का चिह्न है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देश के सिक्के से गाय गायब हो गई। तत्पश्चात भा. गोवंश रक्षण–संवर्धन परिषद के केंद्रीय मंत्री उमेश पोरवाल जी ने सेना में हुए शहीद एवं अन्य कार्यकर्ताओं के परिजनों के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा। साथ ही दिवंगत आत्माओं के प्रति एक मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

तदुपरांत सर्वश्री राजेन्द्र पुरोहित जी, सोहन विश्वकर्मा जी एवं लाभ शंकर जी ने "रोजगारयुक्त नौजवान" योजना के तहत पंचगव्य उत्पादों के निर्माण एवं उनकी मार्केटिंग के संदर्भ में विस्तारपूर्वक सुंदर ढंग से जानकारी दी।

"कर्जमुक्त किसान" योजना के अंतर्गत गोवंश आधारित कृषि में गोकृपा अमृतम का बड़े स्तर पर लाभ मिल रहा है। इस संबंध में महंत शोभादास जी, भाई भगत सिंह जी एवं वासुदेव पटेल जी ने दिये गये प्रशिक्षण के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि 23785 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है। मा. गुरुप्रसाद जी ने कहा कि विश्व में एक साजिश के तहत खेती को खत्म किया जा रहा है, उन्होंने बताया कि रासायनिक खाद के कारण मिट्टी की संरचना खराब हो गई है, उसे ठीक करना होगा। वास्तव में हमारी गतिविधि का केंद्र गांव है, इसलिए वहां जाना पड़ेगा और किसानों को हर प्रकार से समझाना पड़ेगा। उन्होंने जानकारी दी कि पौधे की जड़ हार्ड मिट्टी में अंदर नहीं जा पाती, इसलिए मिट्टी का पोला होना अनिवार्य है। इस दृष्टि से गोकृपा अमृतम मिट्टी की कार्बन की क्षमता बढ़ा देता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए गोकृपा अमृतम से होने वाले लाभ के संबंध में किसानों से जुड़कर उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि इस पद्धति से विशेष लाभ होगा। इसी दौरान मा. खेम जी ने कहा कि हर तीन माह के अंतराल पर किसानों का एक प्रशिक्षण होना चाहिए। हमारे प्रांतों की बैठकों में जिला स्तर के कार्यकर्ता रहने चाहिए। साथ ही केंद्रीय एवं प्रांतीय बैठकों में केवल दायित्ववान कार्यकर्ता ही आना चाहिए।

अगले दिन 17 दिसंबर को मा. स्थाणु मालयन जी ने कहा कि कार्यकर्ता का दायित्व है कि वह चिंतन–मनन एवं आत्म विश्लेषण करे। उसे लक्ष्य–ध्येय की जानकारी होना चाहिए। गौशाला कहां है? कार्यकर्ता कहां है? सभी प्रकार की जानकारी उसको होना चाहिए। श्रद्धेय डॉ. हेडगेवार जी के जीवन का एक प्रसंग सुनाते हुए मा. मालयन जी ने बताया कि उनको बहुत क्रोध आता था, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य प्रारंभ करने के बाद उन्होंने कभी भी क्रोध नहीं किया। ऐसा भाव हमारे कार्यकर्ता का होना चाहिए अर्थात जीवन का पूर्ण समर्पण। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता के विकास हेतु तीन बिंदु महत्वपूर्ण हैं – देखना, समझना एवं सुधार करना (सिखाना)। उन्होंने कहा कि यदि हमारा कार्यकर्ता गलती करता है तो सभी के सामने नहीं, बल्कि उसके सामने बैठकर चर्चा करना चाहिए।

गोरक्षा विभाग के राष्ट्रीय सह

संगठन मंत्री मा. दिनेश उपाध्याय जी ने तीन दिवसीय बैठक के "सिंहावलोकन" पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमें भी अपने कार्य का मूल्यांकन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला–प्रांत का सभी प्रकार का रिकार्ड होना चाहिए। प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की सूची होनी चाहिए। प्रांतों में फोटो की प्रदर्शनी होनी चाहिए। वर्षभर के उत्सवों के फोटो होना चाहिए। "गोसम्पदा" पत्रिका हेतु फोटो परिचय सहित भेजना चाहिए।

अगले सत्र में डॉ नंदिनी भोजराज जी ने बताया कि दूध, दही, घी और मक्खन के आधार पर ही हम घर के लोगों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? डॉ. जितेन्द्र माहेश्वरी जी ने बतलाया कि प्रारंभ में मुझे वासुदेव पटेल जी ने गोअर्क बनाने के लिए प्रेरित किया। आज हम अनेक प्रकार की दवाइयां बना रहे हैं। इसके अलावा हर माह की 1, 2 एवं 3 तारीख को तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रहे हैं। डॉ. ओम प्रकाश जी ने कहा कि आरोग्यता का आधार हमारी गोमाता हैं। उन्होंने पंचगव्य के माध्यम से वात विकार, अनिद्रा, जलोदर, टाइफाइड आदि रोगों का उपचार बताया। तदुपरांत सुनील मानसिंहका जी ने पंचगव्य–चिकित्सा पर जानकारी दी। विजेन्द्र तंवर जी ने "थनैला" रोग के उपाय के संबंध में बताया कि गाय को दुहने के तत्काल बाद बैठने नहीं देना चाहिए ताकि थनों के खुले हुए मुंह बंद हो सकें। इस दौरान उनको कुछ न कुछ खाने के लिए देना आवश्यक है।

प्रो. गुरु प्रसाद जी ने बतलाया कि अधिक दूध देने के लिए नंदी जिम्मेदार है, गाय नहीं। इसलिए ज्यादा दूध देने वाली गाय के बछड़े को नंदी बनाते हैं। उसको आधा दूध पिलाते हैं। इस समय गोशालाओं में अच्छे नंदी नहीं हैं, इसीलिए गोशालाओं को ही नस्ल सुधार केंद्र बनाना आवश्यक है।

अगले सत्र में गोविज्ञान परीक्षा के संदर्भ में सर्वश्री सुरेश सेन जी, शैलेन्द्र जी एवं हरेन्द्र अग्रवाल जी ने प्रमुख बिन्दुओं की जानकारी दी। गोविज्ञान परीक्षा की पुस्तक छह भाषाओं में प्रकाशित की जा रही है। इस संबंध में मोबाइल पर एक "ऐप" भी डाला गया है, जिस पर सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध है।

"गोसम्पदा" पत्रिका के संपादक देवेन्द्र नायक जी ने एक महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि पत्रिका के वार्षिक एवं आजीवन सदस्यों की संख्या निरंतर बढ़ाए जाने पर पत्रिका के वार्षिक व आजीवन सदस्यता शुल्क को क्रमशः घटाया जा सकता है। बस, इसके लिए सभी कार्यकर्ता बंधुओं का तन–मन एवं समय का सहयोग अनिवार्य है। इसी समय मा. खेम जी ने गोपाष्टमी विशेषांक में प्रकाशित किये गये विज्ञापनों को भेजने वाले कार्यकर्ता भाइयों से विनम्र अनुरोध किया कि जिनका पैसा शेष है वे शीघ्रातिशीघ्र उसे भेजने का प्रयास करें।

श्री राजकुमार जी (जम्मू) ने कहा कि गोमाता की आरती हर गोशाला तथा हर गोपालक के घर में होनी चाहिए। श्री दयाशंकर पांडे जी ने बताया कि गोशाला संपर्क प्रमुख जड़ है, जिसे कार्यकर्ताओं को जोड़ना चाहिए। ध्यान रहे, गौशालाओं में काफी संख्या में गोप्रेमी–गोभक्त जाते हैं, जिनमें से कार्यकर्ता मिल सकते हैं।

श्री वाचस्पति त्रिपाठी जी ने बैल ऊर्जा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सोलर ऊर्जा बहुत घातक है। इसलिए बैल ऊर्जा ही एकमात्र विकल्प है। इस दृष्टि से उन्होंने रिक्शा की पद्धति पर एक यंत्र बनाया है, जिसे कुछ गौशालाओं में बनवाया जा सकता है। इसी क्रम में मा. खेम

जी ने कहा कि बैलों की उपयोगिता का तरीका समाज के सामने रखना होगा तभी बैल बचेगा।

प्रो. गुरु प्रसाद जी ने स्वावलंबी गोशाला के संदर्भ में कहा कि गोशाला संपर्क का मतलब है–हम जो पांच आयाम लेकर चल रहे हैं, उसमें से किस आयाम से कौन–सी गोशाला उपयुक्त है। अनेक तरीकों से हम गोशाला को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। गाय हमें सब कुछ देती है, यह हमें प्रमाणित करना होगा।

अगले सत्र में गोवंश हत्या एवं मांस निर्यात निरोध परिषद के अध्यक्ष मा. जसराज जी श्री श्रीमाल ने कानून के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि लगभग 14 राज्यों में गोवंश–हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है। पशु क्रूरता से संबंधित नया कानून भी शीघ्र आ रहा है। तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में कानूनों में नए संशोधन किये गये हैं।

मा. खेम जी ने कहा कि गाय हमें खिलाती है, हम गाय को नहीं। गाय हमें पालती है, हम गाय को नहीं। इसलिए हम सब मिलकर संगठन के काम को गति दें। हमारा दायित्व है कि कार्यकर्ता को कैसे अनुकूल बनाना है। संगठन का सबसे बड़ा गुण है–सतत संपर्क एवं संवाद। उन्होंने बताया कि बहुत बड़ी मात्रा में गोचर भूमि है। इसलिए पटवारी से संपर्क कर गोचर भूमि के बारे में पूरी जानकारी लें। इस विषय में सोहन विश्वकर्मा जी तथा यादगिरी जी ने खाली कराई गई गोचर भूमि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी।

मा. खेमजी ने बतलाया कि श्रद्धेय अशोक सिंहल जी कहा करते थे कि हमारा संघ परिवार जो भी कार्य हाथ में ले लेता है तो उसे पूरा करके ही छोड़ता है। उन्होंने कहा कि अब जिला व विभाग स्तर पर "अध्यक्ष एवं मंत्री" नहीं रहेंगे। वहां गोरक्षा की टोली का नाम चलेगा। अतः टोली प्रमुख व सह टोली प्रमुख बनाइये। साथ ही उन्होंने सभी प्रमुख उत्सव – मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, गुरु पूर्णिमा, रक्षा बंधन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, बलराम जयंती एवं गोपाष्टमी के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी। अंतिम दिन मा. जसराज जी ने सभी के प्रति हृदय से आभार प्रकट किया। मा. मालयन जी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है – घर–घर में गोमाता हों। मा. सावला जी ने कहा कि विश्व के कल्याण की कामना केवल हिन्दू ही करता है। इसका मुख्य कारण गोमाता हमारी भावना का निर्माण करती हैं। उन्होंने विधर्मी, अधर्मी तथा निधर्मी के संदर्भ में प्रकाश डालते हुए कहा कि आज मुस्लिम एवं ईसाई नवयुवक वनवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वनवासी जमीन पर कब्जा करना है। इसलिए इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। जिहाद भी अनेक प्रकार की चल रही हैं, जिसे रोकना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हिन्दू संगठन ही गोमाता एवं संस्कृति की रक्षा करेगा और लव जिहाद को समाप्त करेगा।

प्रो. गुरु प्रसाद जी ने कहा कि बीएचयू में खान–पान के कारण जीन्स का अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प "देसी गाय की रक्षा" करना है। अंत में मा. खेम जी ने कहा कि हमारे सभी आयामों रोजगारयुक्त नौजवान, ऋणमुक्त किसान, स्वस्थ भारत अभियान, पंचगव्य–आयुर्वेद चिकित्सा, समृद्ध भारत के तहत सभी समस्याओं का समाधान हमारी "गाय" है। अतः यदि हम देशभक्त हैं, भारतमाता से प्यार करते हैं तो हमें गाय को बचाना होगा।

BHARATEEYA GOVANS
RAKSHAN SAMVARDHAN PARISHAD

संच-बैठक

राष्ट्रीय बैठक के दौरान ही रात्रि में संच की बैठक आयोजित की गई। मा. खेम जी ने कहा कि केंद्र, प्रांत एवं जिला के प्रमुखों को जवाबदेह होना होगा। बैठकों का क्रम केंद्र के समान जिलों में भी होना चाहिए। भारतीय गोवंश रक्षण–संवर्धन परिषद को प्रांतीय स्तर भी रजिस्टर्ड कराना चाहिए। जिला एवं विभाग स्तर पर समिति नहीं होगी। केवल टोली होगी। टोली प्रमुख तथा टोली संयोजक होंगे। उन्होंने कहा कि हर पदाधिकारी को दो प्रांतों का प्रवास करना चाहिए। साथ ही प्रांत की स्थिति के हिसाब से प्रवास करना है। अंत में सभी पदाधिकारियों के प्रवास तय किये गये, जो निम्नानुसार हैं :– विदर्भ के लिए श्री सावला जी, द.पूर्व असम, उ.पू. असम, त्रिपुरा के लिए मा. खेम जी, उत्तराखंड एवं मेरठ के लिए मा. खेमजी तथा संजीव पुंडीर जी, द. बंगाल, उ.बंगाल, प. उड़ीसा, पू. उड़ीसा, तेलंगाना, उ. आंध्र, द. आंध्र के लिए मा. दिनेश उपाध्याय जी, काशी–अवध, गोरक्ष के लिए प्रो. गुरु प्रसाद जी, उ. तमिलनाडू–द. तमिलनाडू–केरल के लिए मा. खेम जी एवं जसराज श्रीश्रीमालजी, हरियाणा के लिए मा. राजेन्द्र सिंहल जी, जयपुर–चित्तौड़ के लिए श्री जयप्रकाश जी गर्ग, दिल्ली के लिए श्री संतराम जी, मध्य भारत के लिए श्री वीरेन्द्र धाकड़ जी, देवगिरी के लिए श्री त्रिलोकीनाथ बागी जी, पंजाब के लिए श्री लाल बहादुर सिंह जी, महाकौशल–छत्तीसगढ़ के लिए श्री सुनील मानसिंहका जी, उ. बिहार–द. बिहार–झारखंड के लिए श्री उमेश पोरवाल जी, जम्मू कश्मीर के लिए श्री सरदारी लाल जी, ब्रज के लिए श्री उत्तम राव कुदले जी, कानपुर के लिए श्री दयाशंकर पांडे जी, उ. गुजरात–द. गुजरात के लिए श्री सोहन विश्वकर्मा जी, द. कर्नाटक–उ. कर्नाटक के लिए श्री यादगिरी जी, प. महाराष्ट्र–कोंकण–सौराष्ट्र के लिए श्री सुधीर पांडेय जी, जोधपुर–मालवा के लिए श्री राजेन्द्र पुरोहित जी और हिमाचल के लिए श्री विद्यासागर बागला जी का प्रवास तय किया गया है।

वैद्य नंदिनी भोजराज (एम.डी. आयुर्वेद)

शिशिरऋतु और पंचगव्य

लगभग संपूर्ण भारत में इस समय ठंडी का मौसम चल रहा है। अपना स्वास्थ्य बनाने के लिए यह प्रकृति द्वारा दिया गया सही समय है। जिस तरह से अपने घर को साफ करते हैं, समय–समय पर नया रंग देते हैं, गाडी को साफ करते हैं, पेट्रोल भरते हैं, कपडों को साफ धुलकर अच्छे से रखते हैं, उतना ही ध्यान हमें अपने शरीर रूपी ''यंत्र'' का भी रखना है।

हम जो आहार ग्रहण करते हैं उसका पाचन मुँह से ही शुरू हो जाता है। अतः भोजन सेवन करते समय हमारा पूरा ध्यान अपने भोजन में रहे न कि बातों में, टी.वी. में, न ही मोबाईल में, यह वर्तमान जीवनशैली में आवश्यक है। जब हमारा ध्यान अपने भोजन में पूरी तरह से होता है तब हमारे मन द्वारा प्रभावित ग्रंथियों के स्राव अच्छे से स्रावित होकर पचन अच्छा होने में सहायक होते हैं।

अन्न हमारे मुँह में जब जाता है तब उसे चबाचबाकर बहुत अच्छे से चटनी जैसा बारीक बने उसके लिए प्रकृति द्वारा लारस्राव की रचना मुँह में की गई है। अतः उसे अपना कार्य पूर्ण करने हेतु यथावश्यक समय मिलना चाहिए। अतः अति जल्द भोजन सेवन करने की आदत धीरे–धीरे कोई बीमारी को लाती है। भोजन का पचन करने हेतु यथावश्यक पाचकस्राव उचित मात्रा में, उचित समय पर स्रावित कराने में मक्खन को गरम कर बनाये गये गाय के घी का महत्वपूर्ण योगदान है। देसी पद्धति से बने गाय के घी का एक संस्कृत नाम **''आग्नेय''** भी है। यह हमारी पचनशक्ति को बढ़ाता है। जिस तरह यज्ञ करते समय हवनीय द्रव्य में गाय का घी होता है उसी तरह भोजन रूपी आहुति जब हम शरीर को देते हैं तो जठराग्नि अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके, इसलिए भोजन में भी ''गोघृत'' का होना अनिवार्य है।

गोघृत ही अत्यंत गुणयुक्त है। इतना ही नही, पंचामृत बनाने के पांच घटकों में से एक घटक है। परंतु जब तक ''घृत'' पचाने की क्षमता बालक के शरीर में तैयार नही होती तब तक इसका सेवन करना बालक के शरीर के लिए जहर सेवन करने जैसा ही है। घृत सेवन करते ही तुरंत उसका असर हमें न भी दिखे तब भी उसका दूरगामी परिणाम स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला ही होगा। अतः बालक की उम्र तीन साल होने से पूर्व गोघृत सेवन निषिद्ध है। उस अवस्था में ताजे मक्खन का सेवन लाभदायक होता है। स्नेह का पाचन उचित पद्धति से होकर उसका यथायोग्य लाभ शरीर को पहुंचाने का कार्य यकृत का है। उसे अपनी क्षमता तक आने में आयु के 3

साल लगते हैं। अतः बच्चे 3 साल के पूर्ण होने के बाद ही उन्हें ''गोघृत'' खिलाएं, तब तक ताजा मक्खन ही खिलाएं।

दही तासीर में गरम होता है। उसका पाचक गुण अन्न पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन दिनों में ऋतुमान ठंडा होने के कारण ठंड से बचाने में भी दही का सेवन दिन में करें, मात्रावत् करें। दही सेवन रात्रि के समय निषिद्ध है। यह शरीर को नुकसान करता है। एक–दो चम्मच दही का सेवन अन्न पचन में सुलभता प्रदान करता है। साथ ही उसमें उपस्थित लॅक्टोबॅसिलस बडी आंत में होने वाले कार्य को सुचारू रूप से होने में अति आवश्यक है।

दही की गुणवत्ता का ध्यान रखना, यह उसके अच्छे गुण प्राप्ति हेतु अतिआवश्यक है। वर्तमान स्थिति में अधिकतर घरों में दही खरीदकर लाया जाता है। परंतु उसकी अच्छी गुणवत्ता हेतु ताजा घर का दही अधिक प्रभावी होता है। दही आज के विज्ञान की भाषा में अम्ल गुण धर्मीय (acidic) है। दही कौन–से पात्र में रख रहे हैं, कितने समय रख रहे हैं, वातावरण का तापमान कितना है, उसका प्रभाव उसके गुण कायम रखने पर असर करता है।

मिट्टी, चीनीमिट्टी एवम् काँच पात्र में ही दही पूर्णतः सुरक्षित है। वातावरण में जितनी गर्मी अधिक होगी, दही उतना ही जल्दी खट्टा होने लगता है। इसलिए दही पूर्णतः अच्छा जमने के बाद तुरंत उसे ठंडे वातावरण में रखें।

दही जमाने की प्रक्रिया

देसी गाय का दूध हमारे पास आने के बाद उसे उबलने तक गर्म कर लेवें। अब एक चीनी मिट्टी की छोटी कटोरी में आधी कटोरी दूध कुनकुना होने तक ठंडा होने देवें। अब उसमें एक चम्मच नींबू का रस धीरे–धीरे अच्छे से मिलाएं। अब उसे अच्छा जमने तक (1–2 घंटा वातावरण के अनुसार) रहने देवें। तदुपरांत इसे लगभग एक लीटर कुनकुने गाय के दूध में अच्छे से मिला लेवें। उसे अच्छे से ढाँककर रखें। हल्की गर्माहट उसे मिलती रहे या हॉटपॉट में भी हम उस चीनी मिट्टी के पात्र को रख सकते हैं। लगभग चार से पांच घंटे में अच्छे से दही जम जाता है। पूरा अच्छा जमने पर उसे ठंडी जगह में सुरक्षित रखें। प्रत्येक तीन–चार दिन में दूसरा नया जामन बनाएं।

तक्र बनाने की विधि

दही से एक चौथाई मात्रा में पानी डालकर उसे अच्छे से मथनी से मथ लेने पर ऊपर की ओर जमा हुए मक्खन को अलग निकाल लेवें। जो नीचे पतला द्रावण तयार हुआ है वह तक्र है। इसकी तासीर भी गरम होती है। अतः गर्मी के दिनों में तक्र सेवन 'निषिद्ध' है। भोजन के नियम के अनुसार भोजन के अंत में एक कटोरी 'तक्र' का सेवन अन्नपाचन हेतु उत्तम है।

इस ऋतु में पचन करने की क्षमता अन्य ऋतुओमें अधिक होती है। दूध को औटाकर उसकी अलग अलग प्रकार की खीर बनाकर सेवन करना भी स्वास्थ्यवर्धक है।

हमारा पाचन अच्छा रखने में शारिरीक व्यायाम का होना अति लाभदायक होता है। हम जो भी आहार का ग्रहण कर रहे है उसके पाचन के बाद दो पदार्थ की ही निर्मिती होनी चाहिए। एक आहार रस से निर्मित पोषकतत्व का उपयोग शरीर अपने कार्य में उपयोग में ले लेता है। दूसरा योग्य त्याज्य पदार्थ तयार हो जो शरीर से बाहर भावरूप में बाहर डाला जाए। इस ऋतु में गोघृत डालकर बताए गए अलग अलग हलुए भी सूखा मेवा डालकर सेवन करना लाभदायक होता है। संपूर्ण भारत में इस ऋतु में अलग अलग मेवे के लड्डू आदि बनाकर खाने की पद्धति पहले से चलती आ रही है। वे पद्धतियाँ निश्चित ही लाभदायक है लेकिन साथ में भरपूर व्यायाम का होना भी उन सब के उचित पाचन हेतु अति आवश्यक है। भारत के लगभग सभी प्रदेशों में ठंड के कारण शरीर में रूखापन आता है। त्वचा में भी कुछ सूखापन लगने लगता है। उस समय गरम तिल का तैल/ सरसों का तैल सर्वांग में लगाना लाभदायक होता है। तेल लगाने से त्वचा के छेद बंद होते हैं। गोविज्ञान अनुसंधान केन्द्र, देवलापार निर्मित नारायण तैल, बलादि तैल द्वारा मालिश करना भी अत्यंत लाभ देता है। शरीर में स्नेह की मात्रा उचित रही तो मांसपेशियों में जकडाहट होना, संधियों में वेदना आदि समस्याओंसे हम अपने आप को बचाकर रख सकते हैं। यह ऋतु निसर्ग ने दिया हुआ ऐसा वरदान है जिसका उचित लाभ लेने से आने वाले गर्मी के दिनों में इन दिनों में प्राप्त बल का अच्छा परिणाम लाभ पहुँचाता है।

अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र, देवलापार, नागपुर द्वारा संचालित महल एवम् 146 शिवाजीनगर, नागपुर स्थित पंचकर्म केन्द्र से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते है।

फोन – 9422808175

पूजा पाराशर (स्वतंत्र लेखिका)

‘आनिनम् वाड़गऽ’ - गायों की नस्लें दीर्घायु हों!

11वीं सदी के महान संत 63 नायनमारों में एक ‘नम्बीआंडार नम्बी’, जिन्होंने तिरुज्ञानसम्बंदर, अप्पर एवं सुंदरर जैसे महान संतों की वाणी को तमिल साहित्य ‘तिरुमुरई’ के ग्यारहवें खंड में संकलित किया। उन्होंने 7वीं शताब्दी की एक घटना का उल्लेख किया है, जिसमें एक विशेष समाज और तमिल के महान संत जो प्रथम तीन नायनमारों में एक, ‘तिरुज्ञानसम्बंदर’ के बारे में लिखा गया है। तिरुज्ञानसम्बंदर जो जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी थे, बाल अवस्था में ही वे शिवभक्ति महिमा और शैव धर्म का प्रचार करने लगे, जिसके कारण उक्त समाज ने, उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

मदुरई के राजा पांडियन की पत्नी ‘मंगैयरकरसियार’ एवं मंत्री ‘कुलचिरइयार’ शिवभक्त थे, उन्होंने वैदिक धर्म को बचाने के लिए सम्बंदर स्वामी से प्रार्थना की। राजा पांडियन ने भी अपनी पत्नी की शिव–भक्ति और सम्बंदर की महिमा से प्रभावित होकर जैन धर्म छोड़कर, शैव धर्म अपना लिया। ये सब उक्त समाज को असहनीय था। उन्होंने सम्बंदर को मारने का प्रयास किया। जब वे अपने इस प्रयास में असफल रहे, तब उन्होंने सम्बंदर से दार्शनिक बहस करने की चुनौती रखी। शर्त यह रखी गई कि उक्त समाज के लोग और सम्बंदर दोनों ही अपने धर्म सत्य को ताड़ के पत्ते पर लिखकर अग्नि में डालेंगे। जिसके पत्र जल जाएँगे, वह झूठा और जो नहीं जलेगा वही धर्म सत्य होगा। राजा ने भी अपनी शर्त रख दी कि जिसके भी पत्र अग्नि में जल जाएँगे, उन्हें भी इस अग्नि में आत्मदाह करना होगा। उक्त समाज के 8000 लोगों ने अपने धर्म संबंधी सत्य को ताड़ के पत्तों पर लिखकर, अग्नि में डाल दिए, जो नष्ट हो गए, परंतु सम्बंदर का लिखा हुआ नष्ट नहीं हुआ। इस बात से भी संतुष्टि नहीं हुई और पुनः शर्त रखी गई कि ताड़ के पत्ते पर अपने सत्य को लिखकर वैगई नदी (तमिलनाडु के मदुरई व तेनी शहर, इसी नदी के किनारे बसे हैं) में डालना होगा। जिसका लिखा हुआ नदी की धारा के विपरीत बहेगा, वही धर्म सत्य होगा। सम्बंदर सहमत हो गए। जब लिखे हुए ताड़ के पत्तों को वैगई नदी में डाला गया तो मात्र सम्बंदर का पत्ता नदी की धारा के विपरीत बहने लगा और सत्य का साक्षी बना। शेष सभी के लिखे पत्र नदी की धारा के साथ बह गए।

राजा के कहे अनुसार सभी को आत्मदाह करने का समय आया तो अधिकतम सभी शैव धर्म को अपनाने के लिए तैयार हो गए। सम्बंदर ने कहा कि इन्हें क्षमा कर दिया जाना चाहिए। सभी लोगों ने विभूति लगाकर शैव धर्म को अपना लिया। यह भी लिखित रूप में मिलता है कि जब विभूति कम पड़ गई तब मृत्यु– दंड से बचने के लिए उन्होंने गाय के गोबर को स्वयं के शरीर से लपेट लिया।

परमाचार्य श्रीचंद्रशेखरेंद्र सरस्वती (कांची शंकराचार्य) स्वयं इस महिमा का बखान करते हुए संदेश देते हैं – ‘श्री तिरुज्ञानसम्बंदर ने अपने ताड़ के पत्ते पर श्वाड़तु पदिगम्’ (आशीर्वाद का गीत) लिखा; इस गीत की पहली पंक्ति थी – ‘वाड़गऽ अंदनर वानवर आ निनम्’ (जिसका अर्थ है – संपूर्ण संसार का कल्याण करने वाले ब्राह्मण, देवता एवं गाय दीर्घायु हों)। उनका ताड़ का पत्ता दस मील तक पानी की धारा के विरुद्ध तैरता रहा

और ***'तिरुवेडगम'*** नामक स्थान के तट पर पहुँच गया। वहाँ के देवता को 'पत्रिका परमेश्वर' के नाम से भी जाना जाता है; जैसे ही उस स्थान पर पत्ता धोया गया था, भगवान को वह नाम मिला। ताड़ के पत्ते पर लिखि लिपि कहती है – 'आनिनम् वाड़गऽ' – 'गायों की नस्लें दीर्घायु हों'। जैसा कि गाय वैशिष्ट्य है, इसलिए सभी के लिए उसकी पूजा करना आवश्यक है।'(अनूदित)

इस प्रकार सत्य स्थापित हुआ। राजा पांडियन कुबड़े थे, इसलिए उन्हें 'कून पांडियन' कहा जाता था। रानी की भक्ति एवं सम्बंदर के आशीर्वाद और उनकी दी हुई विभूति (जो गोमाता के गोबर से बने उपले या कंडे को जलाकर बनती है) को अपने कुबड़ स्थान पर प्रतिदिन लगाकर राजा पूर्णरूपेण ठीक हो गए और उनका नाम 'निन्ड्रसीरनेडुमारनार' पड़ गया। राजा निन्ड्रसीरनेडुमारनार, रानी मंगैयरकरसियार एवं मंत्री कुलचिरइयार, संत सेवा व ईश्वर भक्ति में इस प्रकार लीन हुए कि वे 63 नायनमारों में सम्मिलित हो गये।

प्राचीन शिव मंदिरों में से एक, वैगई नदी के तट पर स्थित 'तिरुवेडगम' का 'तिरुएडगनाथ स्वामी मंदिर', जहाँ सम्बंदर का लिखा हुआ पत्र पहुँचा, वह दिन आज भी प्रतिवर्ष तमिल महीने 'आवणी' (श्रावण मास) की पूर्णिमा के दिन 'येडु एदिरिय' (धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित पत्र) उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आज भी यह साक्षात् रूप में सत्य, ज्ञान, धर्म, वैभव, संस्कृति एवं गोमाता की महिमा का उत्कृष्ट उदाहरण है।

सत्य ही धर्म है एवं जो धर्म का अनुपालन करता है, उसी का जीवन सार्थक है। वह, न मात्र अपने लिए अपितु संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए चिंतन करता है और उसी के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं –

कृषिगौरक्ष्य व्यवसाय वैश्यकर्म स्वभावजम्। (गीता. १८द्य४४) अर्थात् कृषि, गोपालन तथा वाणिज्य – ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। स्वयं परमाचार्य श्रीचंद्रशेखरेंद्र इस संबंध में कहते हैं – 'भगवान ने वैश्यों के लिए तीन क्रियाएँ निर्धारित की हैं – पहला, 'कृषि' का अर्थ है कृषि, खेत जोतना और लोगों के उपभोग के लिए फसल उगाना। दूसरा है 'गाय की रक्षा'। तीसरा है 'व्यापार और वाणिज्य' और उनके माध्यम से लोगों की मदद करना। इसका मतलब यह होगा कि वैश्य का कर्तव्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और उसके माध्यम से जीवों की मदद करना है। वैश्य को भी गाय की इस तरह देखभाल करनी चाहिए कि उसका दूध न केवल उसके बछड़े के लिए पर्याप्त हो, बल्कि जनता के लिए भी उपलब्ध हो। लोगों को भी आस्तिक व्यापारियों से सामान खरीदना चाहिए न कि नास्तिकों से। यदि आप नास्तिकों से खरीदते हैं तो लाभ गलत उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। वैश्यों के लिए व्यापार को एक विशेष कर्तव्य के रूप में ठहराया गया है, इसलिए वैश्यों को भक्ति के साथ भगवान द्वारा निर्धारित तीन गतिविधियों कृषि, गोरक्षा और व्यापार में संलग्न होकर, ईश्वर की कृपा का पात्र बनना चाहिए।' (अनूदित)

अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में गायों की संख्या सबसे अधिक है परंतु उनके दूध की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है, उत्पादन क्षमता भी कम है, जिसके पीछे कारण है उनका आहार और देखभाल। गायों के लिए हरा चारा होना, आज सबसे बड़ी समस्या बन गया है। यदि प्रयास किए जाएँ तो इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है, हमारी इच्छा का होना! सब सुविधाओं के बाद भी यदि लगन न हो तो लक्ष्य को पाना कठिन है, परंतु श्रद्धा–भाव है तो सब संभव है।

सबसे पहले, इस प्रयास में सबसे बड़ा योगदान गृहणी का हो सकता है। प्रतिदिन यदि फल–सब्जियों के छिलकों, चावल धुले हुए पानी, आटे की भूसी, दलिया, बचे हुए खाने (झूठा नहीं) को फेंकने के स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाए और पास के गो स्थानों या गोशालाओं में भेजने की व्यवस्था की जाए तो एक बहुत बड़े परिवर्तन को देखा जा सकता है। एक ओर जहाँ गाय को पौष्टिक आहार मिलेगा वहीं दूसरी ओर फल–सब्जियों के छिलके व खाना, कूड़ेदान में न जाकर, उपयोगी सिद्ध होंगे। इसी प्रकार की व्यवस्था होटल या हॉस्टल में भी की जा सकती है, जहाँ रोज बचा हुआ खाना व फल– सब्जियों के छिलके आदि भोजन के रूप में गाय को दिए जा सकते हैं। बड़े–बड़े सरकारी, प्राइवेट कार्यालयों के अहाते में पेड़–पौधों के पत्ते, जो गिर जाते हैं, उन्हें झाड़कर कूड़ेदान में फेंकने के स्थान पर इकट्ठा करके गोशाला या गाय के रहने के स्थानों पर पहुँचाया जा सकता है, जो गायों के लिए चारा के रूप में प्राकृतिक व संपूर्ण आहार होगा, इससे दूध की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। हमारे ये छोटे–छोटे प्रयास, गोमाता के जीवन व हमारे स्वास्थ्य दोनों में परिवर्तन ला सकते हैं। इस प्रकार के योगदान मात्र गोसेवा ही नहीं अपितु राष्ट्र सेवा भी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गाय राष्ट्र की धरोहर है, हमारी संस्कृति है। वह हमारी माता ही नहीं हमारा जीवन है।

तेरी दृष्टि से, हर दृष्टि हट जाती।
स्पर्श से तेरे, हर व्याधि मिट जाती।
पाकर आशीर्वाद तेरा, हर बाधा कट जाती।
वास जहाँ भी तेरा होता, वह भूमि स्वर्ग बन जाती।।

- CA Jasraj Shrishrimal (Advocate)

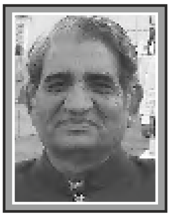

Historical Judgement

Telangana High Court Directs State Government to Provide Adequate Funds to Goshalas

In a recent landmark judgement, the Division Bench of Hon'ble Telangana High Court consisting of Chief Justice Ujjal Bhuyan and Justice C.V. Bhaskar Reddy has in the case of Bharatiya Prani Mitra Sangh V/s. State of Telangana in a W.P. (PIL) No. 105 of 2020, directed State Government of Telangana to provide adequate funds through the State Animal Welfare Board to the Goshalas for their maintenance.

The President of Bharatiya Prani Mitra Sangh CA. Jasraj Shrishrimal, Advocate and also the National President of Govansh Hatya Avam Mans Niryat Nirodh Parishad has in a Press release, while welcoming the above Judgement said that this Judgement is a milestone in the history of Goshalas that the State Govt., will be obliged to give funds (Financial assistant) to Goshalas who are always funds starved with the scarce resources at their disposal raised through much difficult sought voluntary donations.

Hon'ble High Court took cognisance of Section 17 of Telangana Prohibition of cow Slaughter and Animal Preservation Act 1977, which reads as under :

"Establishment of institutions for taking care of cows or other animals :-

(1) The Government may establish, or direct any local authority or society registered under law relating to the registration of societies for the time being in force in the state, or any association or body of persons, to establish institutions at such places as may be deemed necessary for taking care of cows or other animals sent thereto.

(2) The Government may provide bye-rules for the proper management of such institutions for the care of cows or other animals that may be admitted therein.

(3) The Government, or subject to the previous sanction of the Government, the local authority, society or body of persons or association establishing an institution under sub section(1), may levy such fees as maybe prescribed for the maintenance of such institutions."

Honourable Court in View of Constitutional Mandate and above Statutory Provision held that:

" We find that as per sub section (1), duty is cast upon the government which means the State Government to establish or to direct any local authority or society registered under the law relating to registration of societies or any association or body of persons to establish institutions at such places as may be deemed necessary for taking care of cows or other animals sent thereto. Sub-section (2) says that the government may provide for bye-laws for the proper management of such institutions. Sub-section (3) enables the Government to levy such fees as may be prescribed for the maintenance of such institutions."

The Court further observed that:

"From the above it is evident that it is a Constitutional mandate of every State to take

steps for preserving and improving the breeds of cattle and for prohibiting slaughter of cows and calves. Needless to say that corollary to the above mandate is the need for maintaining cows and calves which are generally housed in goshalas."

Hon'ble Court thus concluded that:

" We are however of the view that it is primarily the executive function of the State to look after and maintain goshalas but having regard to the concern expressed by the petitioner and for the reasons mentioned hereinabove, we are of the view that State should provide adequate funds to the goshalas through the Telangana State Animal Welfare Board. We hope and trust the State will do the needful in this regard."

Hon'ble Court further asked the State Govt., the need to reconstitute State Animal Welfare Board at earliest.

"Hon'ble Court placed on record the services of Petitioner's (Bharatiya Prani Mitra Sangh) advocate and noted"

"We would like to place on record our appreciation for the efforts put in by Mr. G.L. Narsimha Rao, learned counsel for the PIL petitioner for bringing this issue to the notice of all concerned."

Mr. Shrishrimal further stated that Hon'ble Supreme Court in the case of Umesh and others Vs. State of Karnataka in Civil Appeal No: 4711-4713 of 1998 has directed the Karnataka Govt., to maintain, or provide funds for Goshalas in the following terms. "It is directed that the State Government maintain proper institutions for providing care and protection to cattle in the light of Section 18 of the 1964 Act." (Karnatak Prohibition of cow Slaughter and Animal Preservation Act 1964).

In the light of above Judgment Mr. Jasraj advised all Goshala management and other NGO's to approach the State requisitioning for financial assistance to Goshalas.

He added that above PIL was filed in 2020 when the gaushalas were facing acute shortage of funds during COVID-2019.

THE HON'BLE THE CHIEF JUSTICE UJJAL BHUYAN AND THE HON'BLE SRI JUSTICE C.V. BHASKAR REDDY

W.P.(PIL) No.105 of 2020

ORDER: (Per the Hon'ble the Chief Justice Ujjal Bhuyan)

Heard Mr. G.L.Narasimha Rao, learned counsel for the petitioner and Ms. A.Sunitha, learned Assistant Government Pleader attached to the office of the learned Additional Advocate General representing the respondents.

2. This writ petition has been filed as a Public Interest Litigation (PIL) seeking a direction to the respondents to make provision for green grass, feed and fodder besides medicines for the cows and other animals housed in goshalas located in the State of Telangana. Further prayer made is for a direction to the respondents to allocate funds for the goshalas having regard to the number of animals housed therein.

3. This PIL was filed when COVID-19 pandemic was in full force affecting the lives of one and all. In such a crisis situation and having regard to the distress conditions of the cows housed in the goshalas, the present writ petition came to be filed.

4. Respondents have filed counter-affidavit.

5. In the counter-affidavit filed by Secretary to the Government of Telangana, Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries Department, it is averred that a goshala is normally established by any person or by a trust or by a board or by a temple or by a society as a non-profitable organization to provide shelter to street cattle, old and infirm cattle etc. These goshalas are maintained by funds generated through donations etc. During the lock down on account of COVID-19 pandemic, a special control room was established in the office of the Director General of Police to monitor the situation. It was noticed that

there was no interruption in the supply of fodder and feed to the livestock in the State.

6. The counter-affidavit discloses that there are about 136 goshalas in the State of Telangana housing 38,229 cattle. Insofar Hyderabad city is concerned, there are about 40 goshalas with approximately 25,000 cattle housed therein. Whenever management of the goshalas approached the Government, they were provided veterinary aid for treatment of cattle besides fodder seed etc. That apart, State of Telangana is scrupulously following the provisions of Telangana Prohibition of Cow Slaughter and Animal Preservation Act, 1977. State Government had constituted State Animal Welfare Board vide G.O.Rt.No.146 dated 02.12.2019 having both official and non-official members. State Animal Welfare Board met on 18.12.2019 and thereafter on different occasions to discuss the issues pertaining to animal welfare including goshalas. State is planning to regulate goshalas by registering them at state level.

7. An additional affidavit has also been filed by the State wherein it is averred that animal husbandry department of the State Government is providing following services to the livestock including animals in goshalas:

a. Health Care: Health care services like treatment of sick animals are being provided whenever required.
b. Breeding services: Artificial Insemination Services, pregnancy diagnosis and conducting fertility camps for treating various reproductive disorders.
c. Preventive health care: Providing preventive seasonal vaccinations to contain bacterial and viral diseases like haemorrhagic septicaemia, black quarter, foot and mouth disease, brucella etc.,
d. Providing fodder seed for fodder cultivation and chaff cutters on subsidy for proper fodder utilization and conservation on par with the farmers.
e. Providing door step health care services through Mobile Veterinary Clinics (MVC) established by Government through toll free no.1962 and one exclusive vehicle is put into service for treating the animals of Gaushalas in and around Hyderabad city where more number of Goshalas are located.
f. Emergency health care services are being provided by local vets and through Mobile Veterinary Clinics.

8. For the financial year 2021-2022, annual budget of the animal husbandry department was Rs.174.85 crores. A major portion of the budget was earmarked for milk producers, out of which a substantial portion was earmarked for providing veterinary services to the cattle breeders including goshalas. That apart, State Government has embarked upon awareness campaign for animal welfare.

9. Finally, it is mentioned that requirement of each State is different and allocation of budgetary provisions in one State cannot be compared with that of another. Nonetheless, State Government has assured that it will consider the request of the goshalas and support them in every possible manner.

10. Submissions made by learned counsel for the parties are on pleaded lines. Therefore, a detailed reference to the submissions is not necessary. However, those have received the due consideration of the Court.

11. Article 48 of the Constitution of India, which is a directive principle of state policy, mandates that the State shall endeavour to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific methods and shall in particular take steps for preserving and improving the breeds of cattle and prohibiting the slaughter of cows and calves as well as other milch and draught cattle.

12. From the above, it is evident that it is a constitutional mandate of every State to take steps for preserving and improving the breeds of cattle and for prohibiting slaughter of cows and calves. Needless to say that corollary to the above mandate is the need for maintaining cows and calves which are generally housed in goshalas.

13. At this stage, we may mention that it is also the fundamental duty of every citizen of India under Article 51A of the Constitution of India to not only protect and improve natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife but, also to have compassion for living creatures.

14. Insofar Telangana Prohibition of Cow Slaughter and Animal Preservation Act, 1977 (briefly 'the Act' hereinafter) is concerned, it is an Act to provide for the prohibition of slaughter of cows, calves of cows, calves of she-buffaloes and for preservation of certain other animals suitable for milch breeding or for agricultural purposes in the State. Section 17 of the Act deals with

establishment of institutions for taking care of cows or other animals Section 17 reads as under:

Establishment of Institutions for taking care of Cows or other animals:-

(1) The Government may establish, or direct any local authority or society registered under the law relating to the registration of societies for the time being in force in the state, or any association or body of persons, to establish institutions at such places as may be deemed necessary for taking care of cows or other animals sent thereto.

(2) The Government may provide bye-rules for the proper management of such institutions for the care of cows or other animals that may be admitted therein.

(3) The Government, or subject to the previous sanction of the Government, the local authority, society or body of persons or association establishing an institution under sub-section (1), may levy such fees as may be prescribed for the maintenance of such institutions.

15. From the above, we find that as per sub-section (1), duty is cast upon the Government which means the State Government to establish or to direct any local authority or society registered under the law relating to registration of societies or any association or body of persons to establish institutions at such places as may be deemed necessary for taking care of cows or other animals sent thereto. Sub-section (2) says that the Government may provide for bye-laws for the proper management of such institutions. Sub-section (3) enables the Government to levy such fees as may be prescribed for the maintenance of such institutions.

16. Government of Telangana had issued G.O.Rt.No.146 dated 02.12.2019 constituting the Telangana State Animal Welfare Board for a period of three years with effect from 30.04.2019 which is headed by the Minister for Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries Department. Chief Secretary to the Government of Telangana is also a member of the Telangana State Animal Welfare Board with Director of Veterinary and Animal Husbandry being member convener. It also had seven unofficial members including representatives from several goshalas. As per the annexure appended to the aforesaid GO, Telangana State Animal Welfare Board has been mandated amongst others to support goshalas and other animal shelters functioning in the State and to advise them on improvement of their activities. It has been clarified that the funds of the Telangana State Animal Welfare Board shall consist of contributions, donations, bequest, gifts and the like made to it by local authority or by any other person/organization.

17. G.O.Rt.No.146 dated 02.12.2019 had a validity of three years w.e.f. 30.04.2019. Nothing has been placed before us to indicate that Telangana State Animal Welfare Board has either been reconstituted or term of the earlier board has been extended beyond the initial period of three years w.e.f. 30.04.2019.

18. Having regard to the constitutional objective and the statutory mandate, we are of the view that State of Telangana should either reconstitute Telangana State Animal Welfare Board or extend its constitution for such period as may be deemed necessary. That apart, instead of leaving it to the State Animal Welfare Board to earn the funds for itself, we are of the view that the State should provide adequate financial assistance to the Telangana State Animal Welfare Board so that it can maintain, manage and look after the goshalas functioning in the State of Telangana.

19. While learned counsel for the petitioner has drawn the attention of the Court to orders passed by the Punjab and Haryana High Court directing the State to provide certain amount of financial assistance to the goshalas, we are however of the view that it is primarily the executive function of the State to look after and maintain goshalas but having regard to the concern expressed by the petitioner and for the reasons mentioned hereinabove, we are of the view that State should provide adequate funds to the goshalas through the Telangana State Animal Welfare Board. We hope and trust the State will do the needful in this regard.

20. We would like to place on record our appreciation for the efforts put in by Mr. G.L.Narsimha Rao, learned counsel for the PIL petitioner for bringing this issue to the notice of all concerned.

21. With the above observation and direction, the W.P.(PIL) is disposed of. No costs.

As a sequel, miscellaneous petitions, pending if any, stand closed.

UJJAL BHUYAN, CJ
C.V.BHASKAR REDDY, J
Date: 06.12.2022 LUR

पशुपालन विभाग–जनपद प्रयागराज।

आदि काल से पशुपालन कृषि का अभिन्न अंग रहा है। वर्तमान में भारत विश्व का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है, जबकि उत्तर प्रदेश, देश में अग्रणी दुग्ध उत्पादक प्रदेश है। गंगा एवं यमुना के समागम वाला जनपद प्रयागराज, पशुपालन के दृष्टिकोण से हमेशा से समृद्ध रहा है।

20वीं पशुगणना–2019 के अनुसार जनपद प्रयागराज में पशु संख्या इस प्रकार है–

क्र0सं0	पशुओं की प्रजाति	संख्या
1	गोवंशीय	560456
2	महिषवंशीय	817058
3	बकरी	261053
4	भेड़	121374
5	कुक्कुट	206919

पशुपालन से किसानों की आय बढ़ाने हेतु राज्य सरकार की तरफ से बहुत सी योजनायें चलायी जा रही है। प्रमुख योजनायें निम्न है–

1. **निराश्रित गोवंश संरक्षण–** कृषि में मशीनों के बढ़ते प्रयोग के कारण, बैलों की उपयोगिता समाप्त होती जा रही है जिसके कारण छुटटा गोवंश की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। छुटटा गोवंश किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते है। किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री द्वारा अति महत्वाकांक्षी निराश्रित गोवंश की योजना 2019 में प्रारम्भ की गयी। वर्तमान में जनपद में कुल 187 स्थायी/अस्थायी गोआश्रय स्थलों मे 27278 निराश्रित गोवंश संरक्षित है। मा0 मुख्यमंत्री सहभागिता योजनान्तर्गत, इच्छुक पशुपालकों को भी निराश्रित के भरण–पोषण हेतु रू0 30 प्रति गोवंश, प्रति दिन के अनुदान दिया जा रहा है।
2. **सेक्स सार्टेड सीमेन का प्रयोग–** इस प्रकार के सीमेन स्ट्रा के प्रयोग से केवल बछिया गोवंश ही उत्पन्न होती है। वर्तमान में इस प्रकार के स्ट्रा की कीमत रू0 300 प्रति स्ट्रा है।
3. **राष्ट्रीय गोकुल मिशन–** भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना अन्तर्गत, उच्च गुणवत्ता के वीर्य स्ट्रा द्वारा निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है।
4. **मिशन 75 लाख कृत्रिम गर्भाधान–** भारत सरकार द्वारा मिशन मोड में प्रदेश में 15 नवम्बर से, 100 दिनों में 75 लाख कृ0ग0 किये जाने की योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
5. **कुक्कुट विकास योजना–** इस योजनान्तर्गत किसानों को कुक्कुट पालन हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
6. **टीकाकरण–** पशुपालन विभाग द्वारा जनपद में गला घोंटू, लम्पी स्किल डिजीज, ब्रूसेलोसिस आदि बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण किया जा रहा है।
7. **पशुधन बीमा योजना–** अत्यन्त ही कम प्रीमियम पर, पशुओं का बीमा पशुपालन विभाग द्वारा किया जाता है। किसी दुर्घटना की स्थिति में पशु की मृत्यु होने पर बीमित धनराशि पशुमालिक को मिल जाती है जिससे पशुमालिक को होने वाले नुकसान से सुरक्षा मिल जाती है।

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
प्रयागराज।

हरियाणा सरकार

चिरायु हरियाणा

(Comprehensive Health Insurance for Antyodaya India)

गरीब परिवारों को लगभग 1500 हेल्थ पैकेज के अंतर्गत
5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के अंत्योदय परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने का निर्णय

1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले जरूरतमंद परिवारों को अच्छे उपचार की सुविधा

पात्रता की जांच

- गूगल PMJAY app
- निजी या सरकारी अस्पताल में कार्यरत आयुष्मान मित्र
- नजदीकी CSC केंद्र द्वारा

कार्ड कहां बनवाएं

- निजी या सरकारी अस्पताल में कार्यरत आयुष्मान मित्र
- नजदीकी CSC केंद्र/CSC/VLE/ASHAs/PPP ऑपरेटर द्वारा

सम्पूर्ण प्रक्रिया

PMAM/CSC स्तर पर कार्ड बनाने की प्रक्रिया हेतु QR कोड स्कैन करें या वेबसाइट पर जाएं
https://setu.pmjay.gov.in

- पंजीकरण के बाद Reference ID पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी जिससे चिरायु कार्ड को डाउनलोड /प्रिंट आउट ले सकते हैं

जरूरी दस्तावेज

- आधार कार्ड
- परिवार पहचान-पत्र

निःशुल्क सेवाएं

- कार्ड बनवाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क
- 729 सूचीबद्ध अस्पतालों (176 सरकारी तथा 553 निजी अस्पताल) में 1500 से अधिक सूचीबद्ध बीमारियों का कैशलेस **5 लाख रुपये तक** का निःशुल्क इलाज
- लाभार्थी को PVC कार्ड 15 दिनों पश्चात् दिया जायेगा

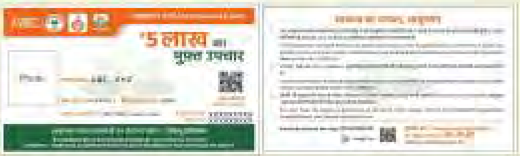

लाभार्थी का नाम सूची में न होने पर शिकायत दर्ज करवाने के लिए
https://grievance.edisha.gov.in/
चिरायु योजना से सम्बंधित अन्य शिकायतों के लिए
14555, 6239504471, 6239504472 पर संपर्क करें।

अथवा

CRID डाटा से सम्बंधित किसी भी शिकायत हेतु QR कोड स्कैन करें

सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा

www.prharyana.gov.in | @diprharyana

1089/13/2000/1920/80475N

LODHI ROAD, HEAD POST OFFICE, NEW DELHI-03
Email : gosampada@gmail.com
website : www.vhp.org

Registered No. DL-SW-17/4027/21-23
RNI No. 69508/98 प्रस्तुति : 13–14
प्रकाशन तिथि : 11 जनवरी, 2023

प्रकाशक व मुद्रक राजेन्द्र प्रसाद सिंहल ने रायल प्रेस,
बी 81, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली से मुद्रित कर भारतीय गोवंश रक्षण संवर्धन परिषद् (विहिप)
संकटमोचन आश्रम, सेक्टर-6, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-22 के लिए प्रकाशित की। संपादक - देवेन्द्र नायक